Postal Registration No. CHD/0107/2018-2020 Posted at MBU Chandigarh RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 20 अंक 11 30 नवम्बर, 2020 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से

किसान मसीहा-दीन बन्धु चौ० छोटू राम

24 नवम्बर, 139वें जन्म दिवस पर विशेष

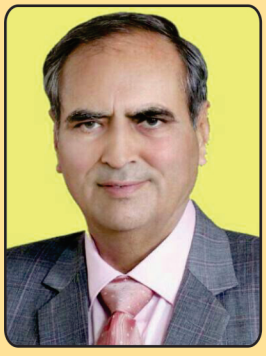

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

किसानों, मजदूरों एवं विशेषतौर से संयुक्त पंजाब के ग्रामीण समाज के मसीहा दीन बन्धु चौ० छोटू राम का जन्म वैसे तो 24 नवम्बर 1881 को रोहतक (हरियाणा) के छोटे से गांव गढ़ी सांपला में एक गरीब किसान सुखीराम के घर में हुआ लेकिन बसन्त पंचमी के त्योहार के अवसर पर एक दिन लाहौर में एक किसान सम्मेलन के दौरान उन्होने अपनी प्रबल इच्छा जाहिर की कि किसानों की खुशहाली एवं फसलों की खुशबू से परिपूर्ण बसंत पंचमी का पर्व ही मेरे जन्म दिवस के रूप में माना जाये। अतः इस महान शख्सियत की यह प्रबल इच्छा ही उनके किसान–मजदूर वर्ग के प्रति गहरे लगाव को जाहिर करती है। इसके साथ ही अपनी बौद्धिक कुशलता के बलबूते पर सेंट स्टीफन कालेज दिल्ली से स्नातक की डिग्री हासिल करना और सम्पूर्ण विद्यार्थी जीवन में वजीफे द्वारा कानून में स्नातक तक की डिग्री प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करना उनकी उच्च स्तरीय बुद्धिमता को प्रमाणित करता है।

देश को साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार एवं भाई–भतीजावाद जैसी कुरीतियों से बचाने तथा करोड़ों किसानों व मजदूरों को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने हेतू उन्होने अपने वकालत के पेशे को ठुकरा कर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और वर्ष 1916 में रोहतक जिले के कांग्रेस अध्यक्ष चुने गये, लेकिन मात्र चार वर्ष बाद कलकता अधिवेशन के अन्दर वर्ष 1920 में ही कांग्रेस द्वारा चलाये गये असहयोग आंदोलन से अपनी असहमति जताते हुए कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। अतः वर्ष 1923 में सर फजले हुसैन के साथ मिलकर किसान, मजदूर व छोटे काश्तकारों के कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए नैशनल यूनियननिष्ट पार्टी का गठन किया। यह पार्टी धर्म निरपेक्षता के आधार पर गठित की गई। वर्ष 1923 में पंजाब में विधान सभा चुनाव जीतने के बाद दीन बन्धु सर छोटू राम कृषि मंत्री बने और 26 दिसम्बर 1926 तक मंत्री रहे। इस थोड़े से समय में ही उन्होने जनहित में अनेकों कार्य किये जिनमें किसानों को साहूकारों व सूदखोरों के प्रभाव से मुक्ति दिलाने के लिए कई लाभकारी कानून पारित करवाये गये जैसा कि 'पंजाब कर्जा रहित अधिनियम 1934' जिसके अनुसार अगर किसी काश्तकार ने कर्ज ली गई राशी को दोगुना या अधिक का भुगतान कर दिया है तो उसको कर्ज की राशी से स्वतः मुक्ति मिल जायेगी।

'पंजाब कर्जदार सुरक्षा अधिनियम 1936' जिसके अनुसार पूर्व मालिक के कर्ज के लिए उसके वारिस की जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगी और खड़ी फसल व वृक्षों को बेचने व कुर्की करने पर रोक लगी। इसी प्रकार 'पंजाब राजस्व कानून 1928', 'पंजाब कर्जदाता पंजीकरण अधिनियम 1938' व **'रहनशुदा जमीनों की बहाली का अधिनियम 1938'** भी पारित किये गये। इन विधेयकों का प्रभावशाली क्रियान्वयन कर्जा पीड़ित किसानों के लिए वरदान साबित हुआ जिनके तहत किसान के मूलभूत कृषि यंत्र व साधन– हल, बैल आदि की किसी भी अवस्था में कुर्की नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय योजनाओं में भाखड़ा नग्गल डैम की प्रस्तावना का स्वरूप और उसका क्रियान्वयन चौ० छोटूराम की सबसे बड़ी देन है। उन्होने इस योजना के निर्माण के लिए मार्च 1933 में पंजाब लेजीस्लेटिव कांउसिल में प्रस्ताव पास करवाकर इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए काफी बाधाओं के बावजूद अन्तिम समय तक निरन्तर प्रयास जारी रखे और अन्त में 8 जनवरी 1945 को लम्बे संघर्ष के बाद बिस्तर से ही इस परियोजना को लागू करने के आदेश करने में सफल हुए। इसके बाद चौ० साहब काफी प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आज मैनें अपनी सबसे प्यारी योजना भाखड़ा डैम योजना पूरी करने के लिए हस्ताक्षर कर दिये हैं।

शेष पेज–2 पर

शेष पेज–1

चौ0 साहब की धर्मनिरपेक्षता व राष्ट्रवादी पार्टी सदैव राष्ट्र विरोधी तत्वों को समाप्त करने का प्रयास करती रही। वे हिन्दू–मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर रहे हैं। जब मुस्लिम लीग पंजाब में युनियननिष्ट पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रही थी और देश विरोधी तत्वों द्वारा मजहब के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही थी उस समय 1944 में चौ0 छोटूराम ने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र लायलपुर में एक विशाल रैली आयोजित की जिसमें डिप्टी कमीशनर व मुस्लमान मुल्लाओं के विरोध के बावजूद भी पचास हजार लोगों ने भाग लिया और राष्ट्र विरोधी ताकतों के इरादों को नकार दिया लेकिन अफसोस है कि चौ0 साहब ज्यादा समय तक इन ताकतों का सामना करने के लिए जीवित नहीं रहे और राष्ट्र विरोधी ताकतें अलग इस्लामिक राज्य–पाकिस्तान का गठन कराने में सफल हो गईं। जाहिर है कि अगर चौ0 साहब जिन्दा होते तो देश का बटवांरा न हो पाता। चौ0 साहब बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते थे ^^ge ekr i lUn djrs g]] foHkktu ugha** । वे महजब के नाम पर बने इस नये इस्लामिक राज्य–पाकिस्तान को बंगाल व पंजाब के हिन्दुओं तथा सिक्खों के लिए अत्याचार का क्षेत्र समझते थे जिसका असली स्वरूप आज सारे राष्ट्र को हानि पहुंचा रहा है।

चौ0 छोटू राम एक अनथक योद्धा, महामानव, निरन्तर कार्य करने की क्षमता तथा दुश्मन का प्रतिउत्तर देने के लिए मजबूत इरादे के धनी एवं उच्च व्यक्तित्व वाले कर्मठ योद्धा थे। वे जाति–पाती के बन्धनों से मुक्त होकर किसी को भी अपना बनाने में सक्षम थे। उन्होने जाट गजटीयर नाम से पत्रिका प्रकाशित करके किसान–मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए शिक्षा अभियान चलाकर समाज में उनकी दिक्कतों को उजागर किया। वे गरीब व जरूरतमंद बच्चों को अपनी जेब से आर्थिक सहायता तक प्रदान कर देते थे और जन साधारण तक शिक्षा का प्रसार करने के लिए गुरूकुल व जाट संस्थाओं की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित किये गये सर छोटू राम शिक्षा कोष से समाज के काफी लोगों ने सहायता प्राप्त की, जिनमें चौ0 चान्दराम भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री व पाकिस्तान के एक मात्र नोबेल पुरूस्कार विजेता डा0 अब्दुस कलाम शामिल हैं। अब्दुस कलाम ने स्वंय माना है कि सर छोटू राम शिक्षा कोष से सहायता पाये बगैर उनके लिए नोबेल पुरूस्कार पाना असम्भव था।

दीनबन्धु चौ० छोटू राम हमेशा आपसी भाईचारे, हिन्दू मुस्लिम एकता, इंसानी मोहब्बत एवं सदभावना के पक्षधर रहे। अतः वे नौजवानों को प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा डा0 सर मोहम्मद इकबाल के निम्न शब्दों को सार्वजनिक तौर से अत्यन्त स्नेह व आदर सहित दुहराते थे :–

;dhu ekgDde vEy i;ge ekgCcr Qrg vkye tgk

tgkn ftUnxkuh e: g: ;: enk: dh 'ke'khjA

अर्थात तुरन्त पहल, पक्का इरादा व आपसी भाईचार ही मर्दो की ढ़ाल है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उन दिनों कृषक व ग्रामीण समाज में बढ़ती हुई भुखमरी व बेरोजगारी को दूर करने के लिए सर छोटू राम ने अहम् भूमिका निभाई। इसलिए उन्होने रोहतक जिले में बेरोजगारी व अशिक्षा को दूर करने के लिए किसान मजदूरों के बच्चों को कांग्रेस की नीति के विरोध में सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, जिसको महिलाओं ने भी उन दिनों एक गीत के रूप में गाना शुरू कर दिया :– Hkjrh gks tk j: jx: V] ;gk fey: VV: t:r] 0kgk feyx: cVA यही एक मात्र कारण है कि आज रोहतक जिले के अधिकारी सेना प्रमुख भी रह चुके हैं और एक दर्जन से अधिक मेजर व लेटीनैन्ट जरनल के पदों पर तैनात हैं।

आज देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के उपर गम्भीर संकट के बादलों को मंडराते देख तथा राजनेताओं के खोखले बयानबाजी व पड़ौसी देश पाकिस्तान व चीन की निरन्तर धमकियों को मध्यनजर रखते हुए लेखक को दीन बन्धु के निम्न सार्वजनिक कथन बार–बार याद आ रहे हैं:–

ßtx e: dke vkrh g: u rnchj: u 'ke'khj:]
Xkj gk ;dh tk ink] rk dV tkrh g: t:thjÞ

किसान–काश्तकार के कल्याण व हितों के लिये दीनबंधु की दूरगामी व तर्कशील सोच रही है। देश की प्रतंत्रता के दौर में भी वे किसान–कमेरे वर्ग के लिये बिट्रिश साम्राज्य से अपनी तर्कशक्ति से किसान की फसल की एंडवास में वाजिब कीमत तय करा लेते थे लेकिन आज किसान वर्ग का चौ० छोटूराम व चौ० देवीलाल जैसा कोई एक छत्र नेता नही है जिस कारण यह वर्ग सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण लगातार पिछड़ रहा है और सरकार में किसान–काश्तकार वर्ग की अगुवाई करने वाला कोई भी नेता नहीं है। हाल ही में सरकार द्वारा किसानों के हितों की अनदेखी करके तीन कृषि बिल पास कर दिये गये जो पूरी तरह कृषि व्यवस्था के खिलाफ है और इनसे किसान वर्ग तबाह होकर पूर्णतया व्यापारिक घरानो के अधीन हो जायेगा। इन कृषि बिलों का सारे राष्ट्र विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि कृषि प्रधान प्रदेशो में घोर विरोध हो रहा है लेकिन सरकार अन्नदाता की समस्या पर गौर करने की वजाये लाठी चार्ज व पुलिस प्रयोग से किसान वर्ग को दबाना चाहती है। किसान अपनी फसल को बेचने के लिये भी धक्के खा रहे हैं और औने पौने दामों पर फसल खरीदी जा रही है क्योंकि सरकार द्वारा इन कृषि बिलों में किसानी उपज की जीवन रेखा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसलिये आजादी के 73 वर्ष बाद भी किसान की हालत सुधरने की बजाये उनकी समस्याएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं और आने वाले दिनों में किसान भीख मांगने पर मजबूर हो जायेगा। एक अनुमान के अनुसार विगत 10

वर्षो के अन्दर 70000 से अधिक किसान खुदकुशी कर चुके हैं और पूरे देश में आर्थिक आंतकवाद का माहौल बन गया है।

महान व्यक्ति अपने समय में युग प्रवर्तक होते हैं तथा आगामी युगों की आधारशिला रखते हैं। चौधरी छोटूराम ऐसे ही एक युग पुरूष थे जिन्होने कृषि क्रांति का सुत्रपात किया। आधुनिक चेतना के वे सुत्रधार थे। किसान के हितों की वकालत करते हुए वे वायसराय तक से भिड़ गए।

चौ० छोटूराम का जीवन उड़ते बालू–कण और पतझड़, शोषण और पीड़ा से ग्रस्त कृषक समाज के उद्धारक के रूप में ही गुजरा क्योंकि उन्होने स्वंय यह सब कुछ भोगा तथा महसूस किया था। उन्होने मुंशी प्रेमचंद के पात्र 'होरी' गोबर और धनियां की पीड़ा का अनुभव किया था, आश्वासनों पर विश्वास नहीं किया बल्कि एक क्रांति दूत बनकर उभरे। वे हमेशा कहते थे ßugh pkfg, e>s ;s e[key dh ejej] ejs fy, rks feêh dk gje cuok nkAþ चौ० छोटूराम सदी की रक्तहीन क्रांति के सुत्रधार बने। दीन बंधु चौ० छोटू राम महिला विकास, सुरक्षा के साथ–साथ उनकी शिक्षा व सम्मान के सदैव पक्षधर रहे। एक बार रोहतक के पास खाप पंचायतों ने मिलकर आग्रह किया कि आपके सुपत्र नहीं है इसलिए आप दूसरी शादी करवा लो तो उन्होने उनको लताड़ते हुए कहा कि जब समस्त संयुक्त पंजाब के नर–नारी, सुपुत्र–सुपुत्रियां उनकी संतान हैं, तो दूसरी शादी क्यों करवांऊ।

दीन बंधु चौ० छोटूराम ने अपने जीवन काल में ही बढ़ रहे प्रदूषण पर आशंका जताई थी तथा वातावरण संरक्षण हेतू सरकार को चेताया था। उन्होने उद्यमकर्ताओं से आह्वान किया था कि वे सरकार से मिलकर वातावरण संरक्षण की योजना बनाएं। जनता को भी जागरूक करने हेतू उन्होने किसानों को खेत को तीन भागों में बांटने को कहा था कि एक भाग में खेती, चारों ओर वृक्ष तथा तीसरे हिस्से में पशुपालन रखने से वातावरण का संरक्षण भी होगा तथा पोषित विकास संभव होगा। आज वैज्ञानिकों को इसकी सुध आई है। समय रहते उचित पग उठाए होते तो आज ओजोन लेयर को क्षति नहीं पहुंचती और इंसान भंयकर बीमारियों से बचा रहता। वे सादा खाते, सादा पहनते थे ताकि जनता उनका अनुशरण कर निरोगी जीवन व्यतीत कर सके।

आज किसान की दूर्दशा और बर्बादी को रोकने के लिये सुखे, बाढ़, बीमारी के बचाव हेतू चौ० छोटू राम द्वारा स्थापित किसान कोश की तर्ज पर केन्द्र सरकार द्वारा किसान राष्ट्रीय सुरक्षा कोष स्थापित करने की आवश्यकता है। इस कोष से किसान–मजदूर और मजलूम को हर संभव मुश्किल झेलने में मदद देने के प्रावधान किए जाएं। लेखक भाखड़ा नंगल डैम पर दीन बन्धु चौ० छोटू राम की प्रतिमा स्थापित करने तथा पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ में उनके नाम से चेयर स्थापित करने के लिये अनेको बार भारत सरकार तथा यूनिवसिर्टी ग्रॉट कमीशन को पत्र लिखकर आग्रह कर चुके है। दीन बन्धु की यादगार में ये प्रशसनीय कार्य करने से ही उनको सच्ची श्रद्धाजंली दी जा सकती है। इसके साथ ही किसान के हित में राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने हेतू किसान सुरक्षा संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। आज कृषक–मजदूर वर्ग को सही दिशा दिखाने, शिक्षित करने, इनके उत्थान के लिए नई तजवीज व प्रगतिशील योजनाएं बनाकर उनको प्रभावी ढंग से लागू करने तथा देश में धर्म निरपेक्षता, अखंडता व प्रभुसत्ता सम्पन्नता को कायम रखने के लिए फिर से एक दीन बंधु चौ० छोटूराम की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण समाज, किसान, कृषक–मजदूर वर्ग के विकास का उनका सपना साकार हो सके।

डॉ0 महेंद्र सिंह मलिक
आई.पी.एस. (सेवा निवृत)
पूर्व पुलिस महा निदेशक हरियाणा,
प्रधान अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति एवं
जाट सभा, चंडीगढ व पंचकुला

दानवीर साहू द्वारा यात्री निवास कटरा के लिये विशेष आर्थिक योगदान

श्री राम कंवर साहू सुपुत्र श्री पूर्ण सिंह, गांव बीबीपुर, जिला जीन्द (हरियाणा) के वर्तमान निवासी मकान नं० 110, सुभाष नगर रोहतक ने अत्यन्त श्रद्धा एवं विनम्रता पूर्वक अपनी स्वर्गीय माता श्री मति बरजी देवी एवं स्वर्गीय पिता चौ० पूर्ण सिंह की मधुर यादगार में 5,11,111/– (पांच लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपये) की राशि चौ० छोटूराम सेवा सदन यात्री निवास कटरा–जम्मु में कक्ष के निर्माण हेतू जाट सभा चण्डीगढ़ को सहर्ष और आदरपूर्वक दान स्वरूप प्रदान की है।

जाट सभा चण्डीगढ़, पंचकूला एवं चौ० छोटूराम सेवा सदन कटरा–जम्मु के समस्त सदस्यगण इस पवित्र कार्य के लिये सार्वजनिक हित में दिये गये अनुदान के लिये श्री राम कंवर साहू का तहदिल से अभिनंदन व आभार व्यक्त करते है और उनके व समस्त परिवार के सुखद स्वास्थ्य एवं मंगलमय भविष्य के लिये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते है।

प्रधान, जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला एवं
चेयरमैन, चौ० छोटूराम सेवा सदन कटरा (जम्मु)

झगड़े से बचना श्रेयस्कर है यदि उसमें पड़ भी जाएं तो शत्रु को अपना तेज, शक्ति और पौरुष दिखा दें। –शेक्सपियर

बेचारा किसान

– डॉ० महेन्द्र सिंह मलिक

किसान मसीहा दीन बंधु चौ0 छोटूराम ने बेचारा किसान पत्रिका सन 1930 में जारी की थी और वर्ष 1937 में आजादी के पूर्व के संयुक्त भारत के समय अंबाला छावनी (वर्तमान हरियाणा) में विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए अंग्रेजी हकुमत को किसानों की पीड़ा बारे चेतावनी के लहजे में उर्दू के मशहूर शायर डा० सर मोहम्मद इकबाल के शब्दों में इस प्रकार सचेत कराया था Þftl [kr e! E; lj uk gks nk tu dh jkVh] ml [kr dh xkslk&,&xne dks tyk nksAß आज फिर राष्ट्र का समस्त किसान वर्ग अपनी बेचारगी (पीड़ा) की आवाज को बुलंद करने हेतू दीन बंधु चौ० छोटू राम व जन नायक स्व० ताऊ देवीलाल जैसे किसान हितैशी कदावर किसान नेता की इंतजार में है।

दीन बंधु चौ० छोटू राम कहते थे कि अगर कोई सच्चा व ईमानदार व्यक्तित्व है तो वह किसान है जो अपनी खून पसीने की कमाई से सब का पेट पालता है। किसान–काश्तकार आरम्भ से ही अपने हितों के लिए संघर्ष करता रहा है लेकिन उसकी आवाज को सदैव दबाया जाता रहा उनके हितों की पैरवी करने वाले कोई दबंग व निष्पक्ष नेतृत्व नहीं है। जन नायक चौ० देवीलाल ने वर्ष 1987–88 में प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए किसान काश्तकार के हितों के लिए केंद्रीय कांग्रेस सरकार के विरूद्ध समस्त भारत में विशेषकर उत्तरी भारत में रास्ता रोको अभियान के तहत विशाल जन आंदोलन चलाया था। लेखक उस समय मुख्यमंत्री के साथ बतौर गुप्तचर विभाग प्रमुख कार्यरत थे। आंदोलन के दौरान समस्त उत्तरी भारत में रेल रोको आंदोलन भी चला था। लेखक ने गुप्तचर विभाग प्रमुख के नाते चौ० देवीलाल को प्रदेश के मुख्य सचिव व गृह सचिव के निर्देशों का हवाला देकर कहा कि आप रेल रोको आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि सरकार ने रेल रोकने पर पाबंदी लगा दी है और यह न्यायालय के आदेश की भी अवमानना होगी। इस पर चौ० देवीलाल ने तपाक से अपनी बागड़ी भाषा में कहा ÞFkk vnkyr d! dj lkß और अपनी कमीज पीछे से उठाकर बोले थे अवमानना के मेरी कड़ पे लिखोगें। मैं मुख्यमंत्री से पहले किसान का बेटा हूं और किसानों के हित के लिए मै अपने प्राण भी त्याग सकता हूं। इसी प्रकार स्व० चौ० चरण सिंह वर्ष 1978 में जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री थे और वे हरियाणा में सुरजपुर में टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स में कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ के लिए रूके हुए थे तो लेखक वहां पर बतौर प्रदेश के गुप्तचर विभाग प्रमुख विराजमान थे। एक दिन शाम को चौधरी साहब रोहतक से आए किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बतिया रहे थे। किसानों ने कहा कि गन्ने की बहुत बेकदरी हो रही है और उचित दाम नहीं मिल रहा है। इस पर तपाक से चौधरी साहब ने अपनी सिर से टोपी उतारकर गुस्से में कहा कि Þeuj! flj ij xUu! dh fctkbZ dj ykß यानि कि अगर फसल का उचित दाम नहीं मिलता तो बिजाई क्यों करते हो।

इसी प्रकार किसान का देश के विकास के साथ–साथ राष्ट्र की सुरक्षा के साथ भी अटूट रिश्ता है क्योंकि देश की शान के लिए शहादत देने वाले अधिकतर किसानों के सुपुत्र होते हैं जो युद्ध में सदैव अपने प्राणों की आहूति देकर देश की संप्रभुत्ता, अखंडता व स्वतंत्रता को कायम रखते हैं। इस तथ्य को पूर्व प्रधानमंत्री स्व० श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भली भांति समझते थे। इसलिए वर्ष 1965 के भारत–पाक युद्ध के दौरान देश की जीत के लिए उन्होने Þt; toku] t; fdlkuß का नारा देकर सैनिकों का हौंसला बढ़ाया था लेकिन आज किसान संगठनों की राय जाने बिना जिस प्रकार से तीनों कृषि बिल सरकार द्वारा जबरदस्ती से पारित किए गए हैं इस से तो यही लगता है कि जय जवान, जय किसान का नारा भी झूठा है।

यह वास्तविक तथ्य है कि किसान कल्याण के लिए स्थाई व नियमित योजना के बिना राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता और किसान–काश्तकार वर्ग की अनदेखी करके कोई भी राजनैतिक दल सफल नहीं हो सकता। लेखक का अपना अनुभव है कि आजादी के बाद जिस भी राजनैतिक दल ने किसान व किसानों से जुड़े मुद्दों व चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ा वे सदैव सत्ता हासिल करने में सफल रहे। जैसा कि कांग्रेस ने स्व0 श्रीमति इंदिरा गांधी के समय बैलों की जोड़ी चिन्ह से चुनाव लड़ा तो कांग्रेस सत्ता में आई। बाद में जब कांग्रेस को हाथ के निशान का चिन्ह मिला तो पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और बाद में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। इसी प्रकार वर्ष 1977 में जय प्रकाश नारायण ने जनता पार्टी से किसान के कंधे पर हल के निशान से चुनाव लड़ा तो पहली बार देश में गैर कांग्रेस सरकार बनी व बहुत से राज्यों में हलदर के निशान से सत्ता हासिल हुई। बाद में किसान हितैषी कई दलों ने किसान व कृषि से संबंधित निशान छोड़कर चुनाव लड़े लेकिन सत्ता से दूर होते रहे। समाजवादी दल ने लालटेन, राष्ट्रीय लोकदल ने नल, राष्ट्रीय जनता दल युनाईटिड ने तीर, आई एन एल डी ने चश्मे व जन नायक जनता दल ने चाबी आदि चुनाव चिन्ह के सहारे सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन किसान चुनाव चिन्ह व किसान की नीतियों को अपनाए बगैर इन सभी दलों को जनता ने नकार दिया। इसलिए राष्ट्र के सभी राजनैतिक दलों को किसान–कामगार के कल्याण के लिए कारगर नीतियां अपनाकर ही अपना राजनैतिक सफर निर्धारित करना होगा।

यह एक सार्वजनिक तथ्य है कि किसान लंबे समय से सरकार की अक्षम व किसान विरोधी नीतियों के कारण पिछड़ता रहा है। कृषि व्यवस्था के सुधार के लिए अभी तक मूलभूत सुविधाएं जैसा कि खाद–बीज की समय पर उचित दामों पर व्यवस्था, किसानी उपज के लिए स्थाई तौर से एम एस पी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि उपर पर मुआवजा आदि की कोई नियमित तौर से प्रावधान निश्चित नहीं है जिस कारण किसान की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है। किसान का कोई मजबूत संगठन नहीं है और इसके हितों की पैरवी करने वाला कोई निष्पक्ष व एकछत्र नेतृत्व नहीं है जिस कारण किसान हित की आवाज उठाने वाले हर आंदोलन व विरोध को सरकार के दमनकारी कार्यवाही से दबा दिया जाता है। हरियाणा जैसे छोटे से प्रांत में आज भी 5 लाख 97 हजार 464 किसान कर्जदार हैं। राष्ट्र में आज किसानों पर 12 लाख 60 हजार करोड़ का ऋण है जिसका ब्याज तक चुका पाना किसानों की कमर तोड़ रहा है जिससे साल में करीब 1200 किसान आत्महत्या करते हैं। यह तथ्य भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में भी लिखित में दिया है। एक सर्वे के अनुसार गत 20 वर्षों में 3,48,538 किसानों ने आत्महत्या की अर्थात 45 आत्महत्याएं प्रतिदिन के हिसाब से हुई। बिजाई के समय अच्छी गुणवता व क्वालिटी के खाद–बीज तक उपलब्ध नहीं होते हैं। 51 से ज्यादा ऐसे पेस्टीसाइड हैं जो विश्व के अन्य देशों में प्रतिबंधित हो चुके हैं लेकिन भारत में व्यापारियों की मिलीभगत से बेचे जा रहे हैं। इसलिए सरकार द्वारा सन 2022 तक किसान की आय दुगनी करने का दावा भी झूठा लगता है।

माननीय प्रधानमंत्री चुनाव से पहले वर्ष 2014 में कहा था कि किसानों की फसल के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, पहली कलम से किसानों के कर्जे माफ होगें, काला धन खत्म कर हरेक नागरिक के खाते में 15 लाख रूपया जमा किया जाएगा, सालाना 2 करोड़ के राजगार दिए जाएगें लेकिन परिणाम से कोसों दूर है।

इसके साथ ही केंद्र सरकार ने किसानों की सहमति के बिना कृषि से संबंधित तीन बिल–आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020, कृषक उपज, व्यापार और वाणिज्य (सर्वधन और सरलीकरण) विधेयक 2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण एवं सरंक्षण) कीमत आश्वासन व कृषि विधेयक के नाम से बहुमत के बल पर पास कर दिए, जो कि पूर्णतया किसान विरोधी हैं और भारतीय संविधान के अंतर्गत लिस्ट–ाा (राज्य सूचि) में राज्यों के अधीन वर्णित हैं जो कि प्रदेश सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण करके केंद्रीय सरकार द्वारा पास कर दिए गए। ये कानून केंद्रीय संघीय प्रणाली के विरूद्ध हैं जिनको पास करने के लिए किसानों, कृषि विशेषज्ञ और राज्य सरकारों की कोई राय नहीं ली गई। राष्ट्र के मुख्य खाद्यान उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा के किसान संगठनों व सरकारों से भी इन बिलों पर कोई राय नहीं ली गई जिस कारण सारे राष्ट्र में इनका भारी विरोध हो रहा है। पंजाब में तो इन कृषि विरोधी अध्यादेशों के विरोध में 5 दशक से अधिक समय तक वर्तमान केंद्रीय सरकार के साथ गठबंधन धर्म निभाने वाले शिरोमणी अकाली दल द्वारा समर्थन वापिस ले लिया गया और पंजाब सरकार ने तो इन तीनों कृषि बिलों को रद्द करके अपने अलग से कृषि विधेयक पास कर दिए। किसानों द्वारा रेल रोको, धरने, प्रदर्शनों द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है और हरियाणा, पंजाब में अनेक स्थानों पर पुलिस द्वारा किसानों पर लाठी चार्ज व मुकदमें भी दर्ज किए गए हैं, अनेकों किसान विरोध प्रदर्शनों में हादसे के शिकार हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

ये तीनों कृषि बिल पूर्णतया कृषि व्यवस्था के खिलाफ हैं जिसमें अनेकों खामियां हैं। इनके तहत सरकार द्वारा फसलों की खरीद प्राईवेट सैक्टर के हवाले कर दी जाएगी जो कि अपनी मर्जी से गुणवता को आधार बनाकर कम अनाज खरीदेगी। प्राईवेट कंपनियां मंडी के बाहर बिना कर दिए अनाज खरीदेगी जबकि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बिल में एम एस पी के भुगतान की कोई गारंटी नहीं दी गई तो प्राईवेट सैक्टर इसके लिए बांध्य कैसे होगा। कृषि अध्यादेशों में बिजली, खाद पर सब्सिडी आदि का कोई जिक्र नहीं है। किसानों को बहकाया जा रहा है कि उवर्रक, बीज आदि पर बाद में राहत दी जाएगी जिसकी कोई गारंटी नहीं है जबकि पाल हाउस व काफी कृषि यंत्रों पर किसानो को सब्सिडी वर्षों से बकाया है। कृषि बिलों द्वारा आढ़तियों को नकारा जा रहा है जबकि बहुत से अवसर जैसे शादी, मृत्यु और अन्य आपात स्थिति में बैंकों की लोन देने की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि आढ़ती दुख–सुख, संकट के हर समय किसान की मदद करता है।

वर्ष 1955 में जमाखोरी व कालाबाजर को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया था और अब इस बिल में सरकार ने संशोधन करके खाद्यान्न, दालें, खाद्य तिलहन और तेल, आलू, प्याज आदि को अधिनियम के दायरे से बाहर करके आम उपभोक्ता पर असहनीय प्रहार किया है जिसका सीधा फायदा उद्योगपतियों, कालाबाजारियों व जमाखोरों को होगा क्योंकि बिल में हुए संशोधन से भंडारण व किमतों पर कोई अंकुश नहीं लग सकेगा। इस बिल की धारा 8–ए में कहा गया है कि कानून के तहत जमीन को पट्टे पर नहीं लिया जा सकेगा, वहीं धारा 8–बी द्वारा भूमि पर कंपनी द्वारा स्थाई चिनाई, भवन निर्माण या जमीन में बदलाव आदि का कोई जिक्र नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि खेती किसान नहीं अनुबंध करने वाला कर रहा है। इस अध्यादेश के तहत किसानों को फसल तैयार करने से पहले ही खरीद कंपनियों से इकरार करना होगा जिससे

जो मनुष्य के साथ दयालुता का बर्ताव नहीं करता, किंतु पूजा का दिखावा करता है, वह ढ़ोगी कहा जा सकता है। –अज्ञात

किसान को कंपनी से उचित शेयर मिलने की उम्मीद बहुत कम है और मंडी की उचित व्यवस्था के लिए स्थापित कृषि उत्पाद मार्केट कमेटी की शक्तियों कम करके अथवा छीनकर खरीद का कार्य नीजि व्यापारियों को दे दिया जाएगा जिससे कृषि अध्यादेशों के तहत असंगठित मार्केट से बिचौलियों को मुक्त करना और भी मुश्किल होगा और इससे असंगठित बिचौलियों की एक नई श्रेणी और पैदा होगी जो कि सरकारी लाईसैंसधारक ना होते हुए भी व्यापारी वर्ग के मार्केटिंग ऐजेंट का काम करेगें। और कोई भी कृषि या गैर कृषि व्यापार इन मध्यस्थों के बिना नहीं चलेगा। यहां तक कि वित्तीय व्यापारिक कार्य भी इन्ही मध्यस्थों के माध्यम से होगें और किसानों को इनके हस्तक्षेप से आजाद करना मुश्किल होगा।

इसके साथ हीं इंडस्ट्रीयल रिलेशंस कोर्ड बिल 2020 द्वारा सरकार ने इंडस्ट्री कार्यकर्ताओं व कृषि पर आधारित श्रमिकों के अधिकारों पर भी नियंत्रण लगा दिया है। नए एक्ट के अनुसार 300 कार्यकर्ताओं वाली इंडस्ट्री मालिक को किसी भी कार्यकर्ता को हटाने या हड़ताल आदि से रोकने व फैक्ट्री के संचालन में कार्यकर्ताओं पर कोई भी शर्त लागू करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसके लिए उन्हे श्रम विभाग से कोई निर्देश या गाईडलाइंस लेने की जरूरत नहीं जबकि पहले 100 वर्कर वाले उद्योग या युनिट में संचालन तथा वर्करों की नियुक्ति, छंटनी आदि के लिए श्रम विभाग के निर्देशों का पालन करना जरूरी था। नए कानून के अनुसार फैक्ट्री का कोई भी कर्मचारी 60 दिन के अग्रिम नोटिस के बगैर अपने हक के लिए हड़ताल नहीं कर सकता और ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई के दौरान व फैसला आने के 60 दिन बाद तक भी अपने हक के लिए कोई दावा नहीं कर सकेगा। सरकार के इस फरमान से श्रमिकों की बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी और यह श्रमिकों के रोजगार सुरक्षा पर गहरा आघात है जिससे कृषि पर आधारित उद्योगों व अन्य उन्नत उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की दशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

वरिष्ठ पत्रकार साबा नकवी ने टिप्पणी की है कि इन अध्यादेशों को सरेआम गली–गली में हो रहे विरोध के बावजूद सरकार ने ध्वनि मत से इन कृषि विरोधी कानून को मुख्य व्यवसाय कृषि पर थोंप दिया है। सरकार ने इन कानूनों द्वारा भारतवर्ष को एक महान लोकतंत्र बनाने वाली कृषि संस्था को शक्तिहीन व अर्थहीन बना दिया है। इसके साथ ही बहुमत के आधार पर कार्यपालिका का प्रयोग वैधानिक शक्ति के तौर पर करके न्यायपालिका को कमजोर किया जा रहा है जो कि किसानी के साथ–2 लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने भी माना है कि इन अध्यादेशों के खिलाफ किसान वर्ग व जनहित से जुड़े वर्गों में काफी भ्रम बना हुआ है और सरकार इस गलतफहमी को क्लीयर करने की बजाए सरकार संसद के अंदर व बाहर इन विभाजित व कृषि विरोधी नियमों पर विचार करने की बजाए इनकी प्रतिरक्षा व वैधता सिद्ध करना चाहती है।

केंद्रीय सरकार की ये धारणा है कि नए कृषि कानून द्वारा किसानों को मध्यस्थों (आढ़तियों) के चुंगल से मुक्त करेगें लेकिन सवाल उत्पन्न होता है कि क्या किसान आढ़तियों से तालमेल छोड़ पाएगें क्योंकि किसान के लिए हर समय आढती का सहयोग जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व० श्रीमति सुषमा स्वराज ने भी व्यक्तव्य दिया था कि किसान व आढ़ती का कृषि व कृषि जरूरतों को पूरा करने में घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरा यह भी तथ्य है कि ये कृषि कानून किसी भी प्रकार से किसानों को कार्पोरेट वर्ग के एकाधिकार से मुक्त नहीं कर सकते जो कि बी जे पी नेतृत्व की सौम्य दृष्टि से एक सैक्टर से दूसरे सैक्टर में आसानी से फैलता जा रहा है। एम एस पी की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करवाने के इलावा कृषि क्षेत्र के लिए राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक सहायता व व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए भी किसानों को सघंर्ष करना होगा क्योंकि कृषि क्षेत्र में लगातार कम हो रहे सरकारी निवेश, बढ़ रही उत्पादन की लागत और कृषि के लिए कम हो रही सब्सिडी से कृषक वर्ग को चिंता सता रही है कि सरकार द्वारा कृषि के लिए तय किया गया अंतिम मुख्य साधन यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य धीरे–2 खत्म कर दिया जाएगा।

कृषि व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार कृषि उत्पाद मार्केट समितियों की स्थापना वर्ष 1939 में तत्कालीन युनियननिष्ट पार्टी के विकास एवं कृषि मंत्री स्व० चौधरी छोटू राम द्वारा की गई थी और पंजाब कृषि उत्पाद मार्केट एक्ट के तहत मार्केट समितियों की व्यवस्था की गई थी जिनमें मंडियों की कार्यप्रणाली तथा व्यापारियों की कारगुजारियों पर नजर रखने हेतू दो तिहाई किसान प्रतिनिधि शामिल किए गए थे। ये मंडियां ए एम पी सी मंडियों के नाम से जानी जाती थी। धीरे–2 लगभग सभी राज्यों द्वारा अनाज मंडियों की व्यवस्था के लिए तथा मंडियों से बाहर मार्केट यार्ड या अधिसूचित क्षेत्रों में कृषि उत्पाद बेचने हेतु अपने ए पी एम सी कानून बनाए जाने लगे। कृषि उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण एम एस पी जिसकी संशोधित बिलों में सरकार कोई लिखित जिम्मेवारी नहीं ले रही है इसका प्रावधान भी अमेरिकन कृषि विशेषज्ञ डा0 फ्रांक डबल्यू पारकर द्वारा किया गया था जिसको जून 1964 में तत्कालीन खाद्य एवं कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम द्वारा लागू किया गया था। अतः मजबूत कृषि व्यवस्था के लिए एमपीएमसी व एम एस पी को सरकार द्वारा स्थाई तौर से लागू करने की आवश्यकता है जो कि वर्तमान कृषि कानूनों द्वारा कमजोर की जा रही है। यदि सरकार वाकई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) को बरकरार रखना चाहती है जैसा कि सरकार द्वारा किसानों व विरोधी दलों के विरोध के उत्तर में दावा

किया जा रहा है तो इसको नए कृषि कानूनों में लिखित प्रारूप क्यों नहीं शामिल किया गया कि किसी भी नीजि व्यापारी या संस्था द्वारा खरीद फरोखत तभी मान्य होगी जब किसान को दी जाने वाली कृषि उपज की कीमत एम एस पी के बराबर या अधिक होगी। एम एस पी मूल्य संकेत का एक महत्वपूर्ण रि–मीटर है और उचित कीमत संकेत के बिना किसान को कृषि उत्पाद की कीमत के पोषण का भारी खतरा रहता है।

ए पी एम सी द्वारा संचालित किसान मंडियों की अपर्याप्त संख्या राजनैतिक हस्तक्षेप व उत्पादन संघों के नियंत्रण के कारण ज्यादा मददगार व उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही हैं। मंडियों में सुधार की प्रक्रिया 2 दशक से चल रही है। इस संदर्भ में कृषि विशेषज्ञ समिति ने सन् 2000 में रिपोर्ट पेश की थी और तब से सन् 2003, 2007 व 2013 में सरकारों द्वारा तीन विभिन्न माडल ए पी एम सी अधिनियम व वर्तमान सरकार द्वारा 2017 में अधिनियम बनाकर सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई जिनका कोई विरोध नहीं हुआ लेकिन वर्तमान कृषि विधेयकों द्वारा मंडी व्यवस्था के अस्तित्व को लेकर किसान वर्ग में रोष चरम सीमा पर है जबकि सरकार द्वारा मंडियों से बिचौलियों के हस्तक्षेप को खत्म करने का दावा किया जा रहा है।

एक सर्वेक्षेण के अनुसार राष्ट्र में 86 प्रतिशत किसानों के पास 2 हैक्टेयर कृषि जोत से भी कम भूमि है। कृषि जोत लगातार खंडित हो रही है। वर्ष 2010–11 में 138 मिलीयन कृषि जोत बढ़कर वर्ष 2015–16 में 146 मिलीयन हो गई। छोटे काश्तकारों के पास बेचने के लिए बहुत कम उत्पादन ही बचता है और वे घर खर्च को चलाने अथवा कर्ज की अदायगी के लिए धान, गेहूं आदि के कुछेक बैग ही बेच पाते हैं। यह भी वास्तविकता है कि केवल 6 प्रतिशत किसान ही कृषि उत्पाद मार्किट कमेटी यार्ड में अपना उत्पाद बेच पाते हैं जबकि 94 प्रतिशत किसानों को मार्केट यार्ड के बाहर स्थानीय व्यापारियों, सहकारी समितियों अथवा प्रोसैसर को बेचना पड़ता है। बहुत से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ए पी एम सी की कोई व्यवस्था नहीं है और किसान को अपना उत्पाद बाहरी व्यक्तियों को बेचना पड़ता है। ए पी एम सी की संख्या भी राज्यों में भिन्न–2 है जैसा कि हरियाणा में 106, पंजाब में 145 व तामिलनाडू में 283 जबकि मुख्य फसल धान व गेहूं का 70 प्रतिशत उत्पादन केवल पंजाब व हरियाणा में होता है जो कि सरकारी ऐजेंसी मुख्यतः एफ सी आई द्वारा खरीदा जाता है। वर्ष 2019–20 में तामिलनाडू में कृषि उत्पाद मार्केट कमेटियों का सभी फसलों का टर्न ओवर केवल 129.76 करोड़ है और महाराष्ट्र में एक किसान को मार्केट कमेटी यार्ड ढूंढने के लिए औसतन 25 किलो मीटर जाना पड़ा। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय कृषि मार्केट द्वारा मंडी व्यवस्था में खामियां दूर करने के लिए 6900 कृषि उत्पाद मार्केट समिति जोड़ने का लक्ष्य रखा गया जिसमें केवल 1000 समितियां ही राष्ट्रीय कृषि मार्केट में बढाई गई। राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार 80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक किसान मंडी होनी चाहिए जबकि 435 वर्ग किलो मीटर में केवल एक मंडी है।

किसानों के कृषि उत्पाद की मार्किट व्यवस्था की कार्यक्षमता को बरकरार रखना आवश्यक है जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा पब्लिक वितरण सिस्टम के साथ–साथ कृषि उत्पाद मार्केट की स्थापना के लिए कमर्शियल खरीद करना जरूरी है और खाद्यान्नों की व्यवसायिक संचालन के लिए नया राष्ट्रीय कृषि फूड निर्यात उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकार द्वारा कृषि कानूनों के विरूद्ध लगातार बढ़ रहे रोष स्वरूप किसानों के आंदोलन का शांतिपूर्ण व कानूनी दायरे में किसान संगठनों के साथ समाधान किया जाना चाहिए। किसानों, मजदूरों व व्यापारियों के शांतिपूर्वक व अधिकारिक विरोध को बलपूर्वक व दमनकारी कार्यवाही से दबाना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। किसान–मजदूर राष्ट्र के विकास के मुख्य स्तंभ हैं और सरकार की किसान विरोधी नीतियों से किसान वर्ग की पहले से ही हालत दयनीय है, जिससे उभारना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, न कि इन बिलों के तहत किसानों का शोषण करके। विवादित कृषि कानूनों में संशोधन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देनी होगी। इसके इलावा किसानों की एक न्यूनतम आय सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। किसानों के लिए न्यायोचित व लाभप्रद समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही क्षेत्रिय स्तर पर किसान को सीधे उपभोक्ता से जोड़ने के प्रयास करने होगे। कृषि के विकास हेतू स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना अति आवश्यक है। किसान के खेत में कटाई के लिए तैयार/पकी हुई फसल के आग लगने, बाढ़ ओलावृष्टि आदि किसी भी प्राकृतिक कारण से हुई हानि पर सरकार द्वारा तुरंत मुआवजा दिए जाने व नुकसान की भरपाई करने का प्रावधान होना चाहिए। जैविक, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर एक टिकाऊ खेती के बारे में सोचना होगा और खेती के लिए उपयुक्त बीज, खाद, पेस्टिसाईड आदि तथा अन्य नवीन तकनीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। प्राकृतिक आपदा से किसानी फसल के नुकसान के मुआवजे, पशुधन की हानि आदि की भरपाई के लिए स्थाई कृषि नीति बनाकर किसान आपदा कोष स्थापित किया जाए। किसान खेत स्कूल विकसित कर प्रभावी कृषि विस्तार सेवाओं को किसान तक पहुंचाना होगा और लघु, सीमांत व किराए पर जमीन से लेकर खेती करने वाले किसानों के लिए भी बैकों से आसान कर्ज उपलब्ध करवाने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर मौसम आधारित पूर्वानुमान जानकारियां, उपयोग करने लायक कृषि सलाह, जलवायु अनुकूलन बीज आदि किसानों तक पहुंचाने के बारे में पहले करनी होगी।

राजनीति के गलियारे से दिल्ली में प्रदूषण और कांग्रेस का स्वास्थ्य

– कमलेश भारतीय, वरिष्ठ पत्रकार

नयी दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव से चिंतित डाक्टर्ज ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली से कुछ समय दूर रहने की सलाह दी है। वैसे तो कांग्रेस दिल्ली से दूर क्या, बाहर ही हो चुकी है। दिल्ली और केंद्र दोनों से बाहर। ऐसे में अध्यक्ष को भी बाहर जाने की सलाह दे दी गयी है। इन दिनों कांग्रेस में अंतर्कलह बढ़ती जा रही है। पहले कपिल सिब्बल, कार्ति और फिर चिदम्बरम् ने कांग्रेस हाई कमान पर सवाल उठाते हुए पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाये जाने और कार्यसमिति भी नये सिरे से गठित करने की मांग सार्वजनिक तौर पर उठाई। इस पर अधीररंजन चौधरी का जवाब और बचाव भी सामने आया। उन्होंने एक बहुत सारगर्भित सवाल पूछा कि ड्राइंग रूम में बैठ कर सवाल उठाना तो आसान है पर क्या एक वरिष्ठ कांग्रेसी होने के नाते आप बिहार में चुनाव में प्रचार पर गये थे ? नहीं। यही बात एक समय प्रियंका गांधी ने भी उठाई थी कि आलोचना करने वालों में कितने नेता प्रचार में साथ देते हैं ? यानी पकी पकाई खाने वाले नेताओं में शामिल हैं कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम् और कार्ति । यदि इनमें दम होता तो अपनी सीटें तो जीतते। और पूरा दबाब बना कर टिकटों हासिल की थीं। सिर्फ हाईकमान के दम पर टिकट और मंत्रिपद पाने वाले आज विश्लेषक भी बन गये। जब पी चिदम्बरम् जेल गये तो कौन मिलने जाता था? यही राहुल बाबा। फिर अब क्या हुआ? कांग्रेस में हाईकमान का प्रभाव दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ऐसे समय में जब सोनिया गांधी का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा ये नेता इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। अभी गुलाम नवी आजाद कैसे खामोश हैं ? पूरे पच्चीस लोग हैं। अधीररंजन चौधरी ने तो साफ साफ कह दिया कि यदि किसी पार्टी में जाना चाहते हो तो चले जाओ। क्या कपिल सिब्बल, चिदम्बरम् और गुलाम नवी आजाद कोई प्रोग्राम बना रहे है पाला बदलने का ? बिहार चुनाव में हार मिली। सत्ता के निकट आते आते सत्ता हाथ से फिसल गयी। पर आपका तो विश्वास ही डगमगा गया। फिर विचार कीजिए और फैसला कीजिए। आलोचना कैसी ? सोनिया गांधी तो गोवा या चेन्नई का रास्ता पकड़ लेंगीं। आप भी अपना रास्ता चुन लीजिए।

यह कैसी आस्था और कैसी लीला?

छठ पर्व शुरू जोकि कुछ दिन चलेगा। यह सूर्य उपासना का पर्व माना जाता है और बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। जहां तक कि पिछले वर्षों में छठ पूजा पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ियों के ऊपर तक बैठ कर जाने के दृश्य आम दिखते थे। कोरोना के चलते छठ पूजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जिंदा रहे तो कोई भी पर्व मना सकेंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र व ओडिशा में सार्वजनिक स्थलों पर पूजा करने पर रोक लगाई गयी है। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। दूसरी ओर कोरोना ने फिर से अपनी चाल तेज कर दी है। पर एक्टर और भाजपा सांसद रवि किशन ने इस फैसले को पूर्वांचल व बिहार के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया है। यह कैसी राजनीति? क्या यह राजनीतिक डुबकी है या आस्था की डुबकी? सोचने की बात है। दूसरी ओर जस्टिस हिमा कोहली और सुब्रहमण्यम् प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि इस समय पूजा की अनुमति देना तेजी से फैल रहे कोरोना के संक्रमण को और फैलने का एक और कारण देना है।

दूसरा दृश्य बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस का है, जहां नागनथैया लीला देखने लोग बिना मास्क पहने पहुंचे। यह सब किसलिए? आस्था और परंपरा को कोरोना से क्यों टकरा रहे हो? यह सोचने विचारने की बात है। समय के अनुसार कुछ परिवर्तन जरूरी हैं ।

कोरोना को देखते हुए हरियाणा में स्कूल कॉलेज खोले तो गये हैं लेकिन हालात कोई सुखद नहीं। कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। स्कूलों में नियमों का पालन न हुआ तो यह संक्रमण और फैलेगा। लोग हैं कि डरते नहीं मास्क लगाते नहीं। चालान होने पर अपना प्रभाव जमाती हैं। पर क्या कोरोना इस प्रभाव में आएगा? नहीं। तो फिर चाहे आस्था की डुबकी हो या परंपरा को नागनथैया कुछ विचार कीजिए।

क्या कांग्रेस जमीनी स्तर पर कहीं नहीं ,,,,,?

बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान पर अंदर से ही हमले तेज हो गये हैं। कल पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल ने और पी चिदम्बरम् के बेटे कार्ति ने हमला किया था कि कांग्रेस ने हार को ही अपनी नियति मान लिया है क्या तो आज खुद पी चिदम्बरम् सामने आकर कह रहे हैं कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर कहीं नहीं रह गयी। ये बिहार के चुनाव नतीजों के आधार पर कहा गया है। क्या सचमुच कांग्रेस की नियति हार है और जमीनी स्तर पर इसका कोई आधार नहीं रहा? क्या इसके पांव के नीचे से धरती खिसकती जा रही है ? क्या जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पाये यानी कांग्रेस मुक्त भारत वही काम कपिल सिब्बल , पी

चिदम्बरम् और गुलाम नवी आजाद जैसे कांग्रेसी ही कर डालेंगे या करने पर अमादा हो चुके हैं ? पहले गुलाम नवी आजाद ने ही यह आवाज उठानी शुरू की थी । इस बार वे तो चुप लगाए हुए हैं लेकिन कपिल और चिदम्बरम् मुखर हो गये हैं। कांग्रेस क्या कोई डूबता जहाज है, जिसमें कोई सवार होना नहीं चाहता ? या फिर जो सवार हैं वे डूबने से पहले कोई ठिकाना खोज लेना चाहते हैं ? यानी क्या भाजपा में जाने का कोई रास्ता तलाश रहे हैं ?

इसमें कोई संदेह नहीं कि मां सोनिया गांधी और बेटे राहुल गांधी में बार बार अध्यक्ष पद लुड़काने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और न पड़ रहा है। फिर इनकी ओर किसी करिश्मे के लिए क्यों देखा जाये? कांग्रेस को गांधी के टैग से मुक्त करने की छटपटाहट जारी है कांग्रेस के ही अंदर। यह इन लोगों के बयान से साफ जाहिर हो रहा है। कोई स्थायी अध्यक्ष बनना चाहिए। राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री न बन कर भी मनमोहन सिंह से ज्यादा चलाई और फिर अध्यक्ष पद छोड़कर मां के नाम पर कांग्रेस चला रहे हैं। यह तरीका लोगों और कांग्रेसियों को पसंद नहीं और न ही रास आ रहा है। आप अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते ? सारी जिम्मेदारी लेने से क्यों पीछे हटते हो ? जब अध्यक्ष बनाया गया तब रूठ कर छोड़ा क्यों ? जब मां को बनाया है तो अपनी मर्जी क्यों चलाते हो ? यदि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से काफी पहले अध्यक्ष बना दिया गया होता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो परिणाम कुछ और होते। ढुलमुल रवैया भी कांग्रेस को दीमक की तरह चाट रहा है। दिल्ली मे अरविंद केजरीवाल से समझौता किया होता तो राजकाज चला रहे होते। कहीं भी चुनाव हो तैयारी समय पर नहीं, कोई रणनीति नहीं। सब राम भरोसे । तभी तो चिदम्बरम् जैसे नेता पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा कैडर बचा भी है किसी राज्य में या कमजोर इतना हो गया है कि कहीं दम ही नजर नहीं आता ? कितने स्वर उठेंगे? कितनी आवाजें हाईकमान को जगाने के लिए जरूरी होंगीं ? आखिर कोई मंथन, कोई विचार, कोई चिंतन शिविर ? कुछ तो कीजिए । नहीं तो दास्तान भी मिट जायेगी दास्तानों में,,,,, अब तो राजग और समाजवादी पार्टी तक गठबंधन कर पछता रही हैं। आलोचना भी कर रही हैं।

मीडिया से सवाल क्यों नहीं ?

मुम्बई के रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी की रिपोर्टिंग शैली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि मीडिया के व्यक्ति से सवाल भी न पूछें। मीडिया की भूमिका पर सवाल क्यों नहीं? यह भी जस्टिस ने कहा कि मैं इस स्तर की बहस को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बहस का स्तर सार्वजनिक रूप में ऐसा कभी नहीं रहा। इसके उदाहरण पालघर लिंचिंग और बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासी मजदूरों का इकट्ठा होने की कवरेज को बताया गया। पालघर लिंचिंग की रिपोर्टिंग साम्प्रदायिक घृणा फैलाये जाने के समान था। वकील साल्वे से कहा गया कि आपके मुवक्किल से हम जिम्मेदारीपूर्ण रिपोर्टिंग की आशा करनी चाहिए ।

इस तरह मीडिया को कठघरे में खड़ा कर दिया रिपब्लिक और अर्णब गोस्वामी ने । सुशांत केस की रिपोर्टिंग भी इसी तरह की रही । इस केस की रिपोर्टिंग में तो सारे नियम कानून और मर्यादा तोड़ दी गयी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अरे उद्धव ठाकरे तक संबोधित किया जाता रहा। संजय राउत को भी बख्शा नहीं गया। सिर्फ मान सम्मान कंगना रानौत और शेखर सुमन का या मुकेश खन्ना का। चीफ एडिटर जैसे ही एंकर्स रहे जो सांस फुला फुला कभी रिया चक्रवर्ती तो कभी दीपिका पादुकोण तो कभी सारा अली खान की गाड़ियों के पीछे पागलों की तरह भागते रहे। बहस में बुला कर मेहमान को अपमानित करना आम बात रही। क्या उन्हें सिर्फ अपनी बात सुनाने के लिए बुलाया जाता था ? कुछ जवाब देने के लिए नहीं ? जरा सा मुंह खोलते ही अर्णब आदेश देते कि आप चुप रहिए। मेरी सुनिए। फिर ऊपर से दावा कि हमारा चैनल नम्बर वन। हमने बाइस साल वाले पुराने आज तक चैनल को पछाड़ दिया और पता चला कि टी.आर.पी. के लिए भी पता नहीं क्या क्या गुल खिलाये। हद है। यह गला काट प्रतियोगिता। स्तर और मर्यादा कुछ नहीं ? कहां ले आए मीडिया को और कहां गर्त में ले जाओगे ? कभी सोचा ? कभी मुम्बई के पुलिस कमिश्नर को भला बुरा कहने से नहीं चूके। अब सारे स्टाफ पर एफआईआर दर्ज। काहे का रोना?

मीडिया चौथा स्तम्भ है लोकतंत्र का। बड़ी महिमा है इसकी। स्वतंत्रता से पूर्व मीडिया ने देशभक्ति के लिए जेल तक काटी। प्रतिबंध सहे। अखबारों को बंद किया जाता था। आर्थिक घाटे सहे। पर लोकतंत्र और स्वतंत्रता की लड़ाई से पीछे नहीं हटे। अब। मीडिया को गोदी मीडिया और बिकाऊ तक कहा जाने लगा है। क्यों ? रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किस नियम या मर्यादा से किया गया ? साख गिरा दी। बाद में साबित हुआ कि रिया ड्रग्स लेती थी और सजा भी काटी। अब जमानत पर बाहर। हाथरस में मीडिया ने जरूर राज्य प्रशासन के अधिकारियों को सबक सिखाया और आइना दिखाया। काश, मीडिया अपनी भूमिका का निर्वाह जिम्मेदारी से करे तो कोर्ट की फटकार का सामना न करना पड़े।

मेहनत की फसल आप ही काटेंगे, सदैव ऐसा नहीं होता। हम आम खाते हैं पर पेड़ हमने नहीं लगाए थे। –लोकमान्य तिलक

लव जिहाद कानून, अंतरधार्मिक विवाह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

हरियाणा सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए एक कमेटी बना चुकी है। कई राज्य लव जिहाद पर कानून ला चुके हैं और देश में एक बहस छिडी हुई है। पिछले कई दशकों के दौरान समाज सुधार के बड़े प्रयासों के बावजूद आज भारत में धर्म और जाति के नाम पर होने वाले विवादों की कमी नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बाद भी कई बार अलग–अलग धर्मों के हितों की रक्षा हेतु किये जाने वाले प्रयास उनके बीच विभाजन की रेखा को और अधिक स्पष्ट कर देते हैं। हाल ही में देश के कई राज्यों (जैसे–मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश) द्वारा ऐसे विवाहों को रोकने के लिये कानूनों के निर्माण की बात कही गई है जिन्हें उनके द्वारा 'लव जिहाद' की संज्ञा दी गई है। गौरतलब है कि 'लव जिहाद' के निर्धारण का न तो कोई कानूनी आधार है और न ही संवैधानिक। इसके साथ ही बिना किसी मजबूत आधार के कानूनों के माध्यम से अंतरधार्मिक विवाह को रोकना लोगों को संविधान से प्राप्त अधिकारों का भी उल्लंघन होगा। दूसरा पहलू ये भी है कि कहीं कहीं इस तरह के केस देखने में भी आए हैं फिर उसका समाधान क्या है?

वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय के हादिया मामले के बाद पिछले दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अंतरधार्मिक विवाह के कई मामले सामने आए, जहाँ अलग–अलग मामलों में जन्म से हिंदू या मुस्लिम महिलाओं ने धर्मांतरण के माध्यम से दूसरे धर्म से संबंधित व्यक्ति से विवाह किया था। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 'लव जिहाद' की घटनाओं पर रोक लगाने के लिये 'धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2020' नामक एक विधेयक लाने की बात कही गई है। हरियाणा भी ऐसा ही कानून बनाने जा रहा है।

इसके तहत किसी से झूठ बोलकर या दबाव बनाकर उसे विवाह के लिये विवश करना पाँच वर्ष के सश्रम कारावास के रूप में दंडनीय होगा। हालाँकि यदि कोई व्यक्ति विवाह के लिये स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है, तो उसे एक माह पहले ही इसके लिये आवेदन देना होगा।

इसी प्रकार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों की सरकारों द्वारा भी 'लव जिहाद' के विरुद्ध ऐसे ही कानूनों को लाने की बात कही गई है।

भारत में लागू प्रमुख विवाह कानून: भारत में ब्रिटिश शासन के समय समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास किया गया परंतु कई समाज सुधारकों और सरकारों के प्रयासों के बाद भी कानूनों में व्याप्त धार्मिक अंतर को दूर नहीं न किया जा सका है। इसके परिणामस्वरूप देश में अलग–अलग धर्मों से जुड़े लोगों के विवाह का पंजीकरण अलग–अलग कानूनों के तहत किया जाता है, जिनमें से हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ, 1937, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936 प्रमुख हैं।

धर्मांतरण और अंतरधार्मिक विवाह: भारत में यदि दो अलग–अलग धर्मों के लोग विवाह करना चाहते हैं तो वे या तो 'विशेष विवाह अधिनियम, 1954' के तहत विवाह कर सकते हैं अथवा उनमें से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धर्म को अपना ले और संबंधित धर्म के रीति–रिवाजों के तहत विवाह कर वे अपने विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी धर्म को मानने, उसके नियमों का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है।ऐसे में भारत में कोई भी व्यक्ति इस अनुच्छेद में प्राप्त अधिकार के तहत यदि अपनी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिये अपना धर्म परिवर्तन करता है तो वह पूर्णतयः उसके अधिकारों के अधीन होगा।

विशेष विवाह अधिनियम 1954: भारत में सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण अंतरजातीय तथा अंतरधार्मिक विवाहों के लिये उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिये वर्ष 1954 में 'विशेष विवाह अधिनियम को लागू किया गया था।

यह अधिनियम वर्ष 1873 के विशेष विवाह अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। यह अधिनियम देश में अलग–अलग धर्मों से संबंधित लोगों को बगैर अपने धर्म में परिवर्तन किये ही विवाह पंजीकरण का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। इस अधिनियम के तहत विवाह के पंजीकरण के लिये अधिनियम की धारा–4 में कुछ अनिवार्यताओं का निर्धारण किया गया है, जो निम्नलिखित हैं।

अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण के समय किसी भी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित न हो। कोई भी पक्ष मानसिक विकार के परिणामस्वरूप विधिमान्य सहमति देने में असमर्थ न हो।

या विवाह की सहमति तो दे सकता हो परंतु इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न हो कि वह विवाह अथवा संतानोत्पत्ति के अयोग्य हो। पुरुष की आयु 21 वर्ष (न्यूनतम) और महिला की आयु 18 वर्ष हो आदि।

विवाह के लिये धर्मांतरण का कारण: धर्मांतरण सामान्य

जुआ सुख, संपत्ति और समय इन तीनों का, जो जीवन के लिए अति मूल्यवान है, नाश करता है। –अज्ञात

स्थितियों और विवाह के मामलों में भी किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है परंतु कई कानूनी और सामाजिक बाध्यताओं के कारण अंतरधार्मिक विवाह के मामलों में लोग विवाह के लिये धर्मांतरण को अधिक प्राथमिकता देते हैं। हालांकि इसके अपवाद ये भी है कि कुछ घटनाओं में ये सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए किया गया भी सामने आया है।

विशेष विवाह अधिनियम की चुनौतियाँ: इस अधिनियम की धारा–5 के तहत विवाह के लिये जिले के विवाह अधिकारी को नोटिस देना अनिवार्य है, जिसके बाद विवाह अधिकारी (Marriage Officer) द्वारा धारा–5 के तहत प्राप्त सभी नोटिसों को विवाह सूचना पुस्तक में दर्ज करने के साथ एक नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा जहाँ इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा निशुल्क देखा जा सकता है। साथ ही यदि कोई भी पक्ष उस जिले का निवासी नहीं है तो इस नोटिस को संबंधित जिले के विवाह अधिकारी को भेजा जाएगा।

इस नोटिस के जारी होने के 30 दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति धारा–4 के तहत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के आधार पर इस विवाह को लेकर अपना आक्षेप व्यक्त कर सकता है।

आक्षेप की लिखित जानकारी मिलने के बाद विवाह अधिकारी को 30 दिनों के अंदर जाँच कर अपना निर्णय देना होता है। साथ ही विवाह अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट रहने पर व्यक्ति जिला न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। हालाँकि इस प्रक्रिया में लगने वाले समय के दौरान अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह के मामलों में लोगों पर परिवार अथवा समाज से अनावश्यक दबाव बढ़ जाता है।

कई मामलों में लड़के या लड़की को इस प्रकार के विवाह से रोकने के लिये उन पर जानलेवा हमला भी कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में कई असामाजिक तत्त्व लोगों की सार्वजनिक जानकारी का गलत फायदा उठाकर उन्हें या उनके परिवार को परेशान करने का प्रयास करते हैं। हाल ही में केरल में विशेष विवाह अधिनियम के तहत अंतरधार्मिक जोड़ों की तस्वीरों और अन्य जानकारियों के दुरुपयोग के मामले सामने आने के बाद सरकार ने इस अधिनियम के तहत विवाह के नोटिस के ऑनलाइन प्रकाशन पर रोक लगा दी थी।

इन सब चुनौतियों से बचने के लिये अधिकांशतः लोग धर्म परिवर्तन का विकल्प अपनाते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में ैड। के तहत 30 दिन के नोटिस की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की गई, इसके लिये तर्क दिया गया कि ैड। की धारा–4 की शर्तों को शपथ पत्र और चिकित्सीय जाँच के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है।

अंतरधार्मिक विवाह का विरोध:

कुछ संगठनों का आरोप है कि अंतरधार्मिक विवाहों के माध्यम से जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है। 'हिंदू विवाह अधिनियम, 1955' या अन्य कुछ धर्मों के कानूनों के तहत किसी भी व्यक्ति को एक ही विवाह की अनुमति दी गई है, ऐसे में कुछ मामलों में लोगों ने दूसरा विवाह करने के लिये धर्मांतरण (विशेषकर इस्लाम जहाँ 4 विवाह तक की अनुमति है) का रास्ता अपनाया। गौरतलब है कि इस्लाम धर्म के रीति रिवाजों के तहत एक से अधिक विवाह के मामले में भारतीय दंड संहिता (प्च्ब्) की धारा–494 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

पूर्व के मामले:

सरला मुद्गल (1995): वर्ष 1995 में कल्याणी नामक एक संस्था की संचालक सरला मुद्गल द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि कोई भी हिंदू बिना अपने पहले विवाह से तलाक की कार्रवाई को पूरा किये इस्लाम में धर्मांतरण के माध्यम से दूसरा विवाह नहीं कर सकता है और ऐसा करना आईपीसी की धारा 494 के तहत दंडनीय होगा।

राज्य सरकारों द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानूनों का प्रस्ताव:

हाल में हरियाणा राज्य के गृहमंत्री द्वारा धर्मांतरण के विरुद्ध कानून के निर्माण की घोषणा के साथ हिमाचल प्रदेश में इस मामले पर पहले से सक्रिय एक कानून की जानकारी मांगी गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में हिमाचल विधानसभा द्वारा 'धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2019' पारित किया गया था।

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2007 से ही एक कानून लागू था जिसके तहत बलपूर्वक या धोखाधड़ी से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाई गई थी, हालाँकि वर्ष 2019 के विधेयक में इसके प्रावधानों को और अधिक कठोर कर दिया गया है।

वर्ष 2019 के विधेयक के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बल, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, धोखे या विवाह के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण कराने का प्रयास तथा ऐसे कार्यों में सहयोग नहीं करेगा।

इस विधेयक के अनुसार, सिर्फ धर्मांतरण के उद्देश्य से किये गए विवाह को किसी भी पक्ष के आवेदन पर न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति विवाह के लिये स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है, तो उसे एक माह पहले ही इसके लिये आवेदन देना होगा, साथ ही धर्मांतरण में शामिल धर्मगुरु को भी इसकी सूचना एक माह पहले ही जिला प्रशासन को देनी होगी।

इसके तहत अपराध संज्ञेय और गैर–जमानती होंगे

और इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने के साथ 5 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है, यदि पीड़ित एक नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है तो उस स्थिति में कारावास के दंड को 7 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

चुनौतियाँ: किन्हीं दो सहमत वयस्कों के बीच वैवाहिक संबंधों को विनियमित करने के लिये अनावश्यक कानूनी हस्तक्षेप न केवल संवैधानिक अधिकारों की गारंटी के खिलाफ होगा, बल्कि यह व्यक्तिगत (अनुच्छेद 21) और बुनियादी स्वतंत्रता की अवधारणा को भी क्षति पहुँचाता है।

बहुविवाह, बहुपत्नी प्रथा, अपहरण या बल प्रयोग आदि को पहले से ही अपराध माना गया है और ऐसे अपराधों से IPC या अन्य कानूनों की विभिन्न धाराओं के तहत निपटा जा सकता है। असामाजिक तत्त्वों द्वारा लोगों का शोषण करने या अराजकता फैलाने के लिये ऐसे कानूनों का दुरुपयोग किया जा सकता है।

आगे की राहः 21वीं सदी में भी देश में धर्म और जाति के नाम पर होने वाला भेदभाव एक बड़ी चिंता का विषय है, ऐसे में वर्तमान में समाज में लोगों में निजता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता (विवाह, धर्म का चुनाव या अन्य मामलों में भी) के संदर्भ में व्यापक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। विवाह अधिनियम से जुड़े कानूनों में अपेक्षित बदलाव के साथ और उन्हें लागू करने में होने वाली अनावश्यक देरी को दूर करने के विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिये।

कानूनों या धार्मिक रीति–रिवाजों के दुरुपयोग के माध्यम से लोगों के शोषण को रोकने के लिये युवाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिये। भारत में विवाह से जुड़े कानूनों में व्याप्त जटिलता को दूर करने के लिये 'समान नागरिक संहिता' को अपनाया जाना बहुत ही आवश्यक है।

किसान के हित में सरकार को पराली के प्रबंध करने होंग

– डॉ. ओमप्रभात अग्रवाल

आजकल चारों ओर पराली दहन का शोर है। मीडिया में इसकी इतनी ही चर्चा है जितनी वैश्विक महामारी कोरोना की। जब तक किसान के फायदे के लिए पराली प्रबंधन नहीं किया जाता है ये समस्या ठीक होने के आसार हैं भी नहीं। अक्टूबर माह के लगभग काटी जाने वाली धान की फसल पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली क्षेत्र में मौसम की मुख्य फसल होने के कारण इसका क्षेत्र अत्यंत विशाल होता है और इसीलिये एक रपट के अनुसार इस वर्ष (2020) 25 अक्टूबर से एक नवंबर तक हरियाणा में 5784 स्थानों पर दहन हुआ। केवल 30 अक्टूबर को ही राजधानी और आस पास के क्षेत्रों में 3471 स्थानों पर दहन हुआ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निगरानी केन्द्र श्सफरश् ने रपट दी कि 6 नवंबर को सम्पूर्ण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 4520 स्थानों पर दहन हुआ। 2019 में सर्वाधिक दहन वाले अक्टूबर के एक विशेष दिन दहन की कुल संख्या 2700 रही थी। दहन के इस महाकाय रूप के कारण सैटेलाइटों से लिये गये चित्रों तक में वह स्पष्ट रूप से दिखता है। पराली दहन मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पौटैशियम जैसे तत्वों को नष्ट कर भूमि की उपजाऊ शक्ति तो कम करता ही है, गहन वायु प्रदूषण को भी जन्म देता है। सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट की वैज्ञानिक अनुमिता राय चौधरीके अनुसार एक टन पराली के दहन से 60 किलोग्राम कार्बन मोनाक्साइड तथा 1460 किलोग्राम कार्बन डाइआक्साइड गैसें, 3 किलोग्राम कणीय द्रव्य , 200 किलोग्राम राख, अत्यंत थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन पराक्साइड एवं हाड्रोकार्बन गैसें उत्पन्न होती हैं। जो कई रोगों का कारण बनती है।

कणीय द्रव्य वास्तव में महीन कार्बन कण होते है जो पराली दहन से बनते हैं। इन्हें अपने ही आकार के धूल कणों का साथ भी पर्यावरण प्रदूषण के लिये मिल जाता है। 2.5 इतने महीन होते हैं कि उनकी अपेक्षा मनुष्य के सर के बालों की मोटाई 30 गुणा अधिक होती है। ये सांस के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर देते हैं। 10 आकार में बड़े होने के कारण फेफड़ों तक तो नहीं पहुंच पाते परंतु श्वास नली तक पहुंच कर सांस की बीमारियों को वे भी उत्पन्न करते हैं। ये 10 से भी बड़े आकार के कण शरीर के अंदर प्रवेश कर पाने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि वे नाक के अंदर के बालों में फंस कर रह जाते हैं। कणीय द्रव्य एक अत्यंत विनाशकारी धूमित कोहरे अथवा स्माग के निर्माण के लिये भी उत्तरदायी होते हैं। स्माग, अंग्रेजी के दो शब्दों, फाग एवं स्मोक को मिला कर बनाया गया शब्द है। कोहरा अथवा फाग वातावरण में उपस्थित जल वाष्प के ठंडे मौसम में संघनित होने से निर्मित होता है। इस संघनन से अत्यंत लघु जल कणों की सृष्टि होती है जो पास पास आकर धुंए जैसे कोहरे का निर्माण करते हैं। इसी कोहरे में जब लघु कार्बन कण (कणीय द्रव्य) मिश्रित हो जाते हैं तो धूमित कोहरा अथवा स्माग अस्तित्व में आता है। इस कोहरे को धूमित इसलिये कहा जाता है क्योंकि सामान्य धूम (धुंआ) भी लघु कार्बन कणों से ही बना होता है।

स्मरणीय है कि इस स्मॉग में दहन से उत्पन्न सभी प्रदूषक गैसें भी मिल जाती हैं और इसे अत्यंत विषैला बना देती हैं। राजधानी दिल्ली 1 नवंबर 2016 को विकट स्मॉग से घिर गई थी जो 8–10 दिन तक चला। उस वर्ष भी पराली दहन अक्टूबर के उत्तरार्ध में प्रारंभ हो गया था। यह स्मॉग इतना घनघोर था कि .श्यता 10 फीट से भी कम रह गई थी और यूनीसेफ तक ने इसका संज्ञान लिया था। इसकी तुलना इतिहास के भीषणतम 1952 के लंदन के स्मॉग से की गई थी, जब वहां 20 हजार व्यक्ति प्रश्वसन कष्टों से पीड़ित हुएथे और चार हजार तो मृत्यु के मुख में ही चले गये थे। स्मरणीय है कि 2.5 की सुरक्षित सीमा भारत में प्रति घनमीटर वायु के लिये 60 एवं सहनीय सीमा 100 आंकी गई है जबकि दिल्ली में यह 500 तक पहुंच गई थी। वायु प्रदूषण 10 के लिए सुरक्षित सीमा 100 है।

इस वर्ष ठंड कुछ अधिक पहले पड़ जाने के कारण 25 अक्टूबर को ही दिल्ली में स्मॉग दिखाई दिया। यह स्मॉग 2016 की भांति भीषण तो नहीं है, परंतु स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव दिखाई देने लगा है। पराली दहन निश्चय ही गंभीर वायु प्रदूषण का जनक होता है यद्यपि आज के किसान की यह एक सीमा तक विवशता भी है। अतः इससे छुटकारा पाने के उपाय ढूंढ़े जा रहे हैं। पराली को काटना तो पड़ेगा ही यद्यपि प्रक्रिया को धनलाभ कमाने का जरिया बनाकर किसान को प्रोत्साहित किया जा सकता है। उदाहरण के लिये इसे बायोफुयेल (बायोइथेनॉल) के उत्पादन के लिये काम में लाया जा सकता है। यह फुयेल (ईंधन) अब तो पेट्रोल गैसोलीन आदि में कुछ मात्रा में अवश्य मिलाया जाता है। (भारत) के वैज्ञानिकों ने एक विशेष एन्जाइम की सहायता से पराली के 76 प्रतिशत तक को बायोफुयेल में परिवर्तित करने की क्षमता वाली विधि विकसित कर ली है। इसी प्रकार एक अन्य विधि द्वारा इसे बायोमास में परिवर्तित कर उससे थर्मल ऊर्जा उत्पादित की जा सकती जो अंततः बिजली के उत्पादन का श्रोत बन जाती है। पंजाब के फाजिल्का में एक संयंत्र इस विधि से बिजली बना भी रहा है। कहना न होगा कि ये दोनों ही प्रयास फिलहाल सर्वथा नाकाफी हैं। अभी अभी एक बहुत ही सरल एवं सक्षम विधि का विकास हुआ है। इस विधि का श्रेय इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को जाता है। इसमें एक विशिष्ट बायोडीकम्पोजर विलयन, जिसका विकास इंस्टीट्यूट ने ही किया है, का छिड़काव खेतों में भूमि से लगी हुई पराली के ऊपर ही कर दिया जाता है। कुछ अवधि में वह वहीं पर सड़ गल कर एक उत्तम जैविक खाद में परिवर्तित हो जाती है और खेत अगली फसल के लिये बिना किसी अधिक श्रम अथवा व्यय के तैयार हो जाते हैं। अब योजना बन रही है कि इसी सस्ती और सक्षम विधि का उपयोग पराली की समस्या से छुटकारा पाने के लिये किया जाय। दिल्ली और आस पास के कुछ क्षेत्रों में तो यह विधि क्रियान्वित भी की जा रही है।

कोरोना का भय सुनियोजित साजिश

– शंभू भद्रा, नैचुरोपैथिस्ट, रोहतक

कारोना को लेकर भारत सहित विश्व भर में डर का माहौल बनाया जा रहा है। इसमें सरकारें भी शामिल हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शामिल है और फायदा उठाने वाली फार्मा व टेस्ट किट निर्माता कंपनियां भी शामिल हैं। इन सभी को अमेरिका–चीन जैसी वैश्विक ताकतें संचालित कर रही हैं। कोरोना का भय सुनियोजित साजिश है। यह डर का बाजार है। आतंकवाद, धर्म के बाद अब वायरस खौफ के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सफल खिलाड़ी हैं। इसे सफल बनाने के लिए मीडिया का भरपूर सहारा लिया जा रहा है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जानता है कि किसी भी वायरस की कोई दवा नहीं हो सकती और मुंह पर मास्क लगाने से वायरस अटैक को रोका नहीं जा सकता। यह बात एलोपैथी चिकित्सक और बाजारपरस्त चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सा विज्ञानी भी जानते हैं। कारोना के खौफ में पीसीआर टेस्ट व मास्क आदि के व्यापार तो फल–फूल रहे हैं, पर दूसरे सभी सेक्टर का भट्ठा बैठ रहा है। खासकर भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को अरबों की चपत लग रही है।

1983 में आविष्कृत जिस पी.सी.आर. (Polymerase chain reaction PCR) टेस्ट के बल पर कोरोना संक्रमण को डिटेक्ट करने का दावा किया जा रहा है, उसके आविष्कारक कैरी मुलिस (Kary Mullis) ने खुद कहा था कि इससे किसी पर्टिकुलर वायरस या बैक्टिया के संक्रमण को 100 फीसदी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। यूट्यूब पर उनके वीडियो उपलब्ध हैं। आप कोई भी सुन सकते हैं। सभी चिकित्सक व चिकित्सा वैज्ञानिक जानते हैं कि ब्रह्मांड में करीब 3.5 लाख के करीब वायरस हैं, कम–ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनमें से अब तक करीब 200 के आस–पास वायरस का नाम रखा गया है। इनमें कोरोना भी शामिल है। आज जैसे कोरोना का हौव्वा खड़ा किया गया है, ठीक वैसे ही कभी स्वाइन लू–एच1एन1, जीका, इबोला, निपाह, एचआईवी आदि वायरस का खौफ पैदा किया गया था। आज न इन वायरस का कहीं प्रकोप है, न इनकी दवा बनाई गई। न इनकी कोई चर्चा है।

गौर करने वाले तथ्य ये हैं कि सभी वायरस के लक्षण लगभग समान हैं। बुखार, जुकाम, बदन में दर्द, नाक बहना आदि। सारे फलू के लक्षण। एचआईवी तो 20वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ है। एचआईवी वायरस किसी भी मानव शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकता। कोरोना को देखें तो पहले उसने चीन में तबाही मचाई, अब वहां शांत हो गया। असल में वहां डर के बाजार का दोहन हो गया। अब कोरोना इटली, ईरान, अमेरिका व भारत में तांडव मचा रहा है। चूंकि गर्मी आने के बाद वायरस का असर कहीं नहीं दिखेगा, इसलिए इसे तेजी से चीन से बाहर शिफ्ट कराया जा रहा है, ताकि डर के बाजार का अधिक से अधिक दोहन हो सके। भारत में सरकारों ने स्कूल, कालेज, सिनेमा हॉल, पब, रेस्तरां आदि बिजनेस एक्टिविटी रोककर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है, जबकि भारत में एक भी केस नहीं है, जो भी केस डिटेक्ट हुए है, वे चीन, इटली, यू.एस.ए. जैसे जगहों से बाहर से आए लोग हैं। फिर भी हमारी सरकारें कोरोना के भय में आवाम को झोंक रही हैं। पता नहीं हमारी सरकारें डब्यू.एच.ओ के आगे क्यों नतमस्तक हैं।

सभी चिकित्सा विज्ञान में मान्य फैक्ट्स हैं कि जब शरीर की रोग–प्रतिरोधक क्षमता घटती है तभी शरीर पर वायरस या बैक्टिरिया का अटैक होता है। वातावरण में हमारे आस–पास हमेशा लाखों वायरस–बैक्टिरिया मौजूद रहते हैं और वे हमारे शरीर के अंदर जाते रहते हैं। शरीर की रोग–प्रतिरोधक क्षमता, श्वेत रक्तकण यानी डब्ल्यू.बी.सी., शरीर के अंदर बनने वाले अम्ल और जीवनरक्षक वायरस व बैक्टिरिया आदि उनको मारते रहते हैं। यह प्रकिया अनवरत चलती रहती है। जब शरीर की रोग–प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है या मौसम परिवर्तन होता है या दूषित खान–पान के शिकार होते हैं या शरीर में अत्यधिक टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो वायरस या बैक्टिरिया का हमला होता है। जुकाम, कफ, सिर दर्द, बुखार, बदन दर्द, कंपकपी, उल्टी, दस्त आदि लक्षण संकेत देते हैं कि शरीर में वायरस या बैक्टिरिया का अटैक हो गया है। ये रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं जो मानव को सावधान करने के लिए होते हैं कि आप खुद के खान–पान को ठीक करें। शरीर में इन्हें ठीक करने का इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है। तीन से सात दिन में ये ठीक हो जाते हैं। बस आप अपना आहार–विहार ठीक कर लें।

जिस आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग व आध्यात्म को भारत अपना गर्व मानता है, जिस भारत में इन वैकल्पिक चिकित्सा की जड़ें मजबूत हैं, वही भारत आज कोरोना के "अंतर्राष्ट्रीय खेल" का प्यादा बना हुआ है। यह समझ से परे नहीं है। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुडा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय डर की कारोबारी शक्तियों का मोहरा है। जिस चीन से कारोना (कोविड–19) की शुरूआत हुई, उसी चीन व सिंगापुर के चिकित्सकों की टीम ने डा. टी. कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में 1973–75 के बीच 65 देशों में एक अध्ययन किया, जिसे चाइना स्टडी नाम दिया गया। यह लगभग 25 वर्ष तक चला। 2005 में चाइना सटडी प्रकाशित हुआ। यह स्टडी एनिमल फूड (डेयरी उत्पाद समेत), रिफाइनरी फूड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल फूड, जंक फूड और क्रोनिक बीमारियों–डायबिटीज, कैंसर, कोलेस्ट्राल, हाईबीपी, प्रोस्टेट, हर्ट ब्लॉकेज, थायराईड आदि के बीच संबंध का पता लगाने के लिए की गई। यह स्टडी अंग्रेजी दवा व उसके नुकसान, खान–पान का बीमारी से संबंध आदि विषयों को भी केंद्र में रखकर की गई। इस विश्वव्यापी स्टडी का निष्कर्ष निकला कि एनिमल फूड, इंडस्ट्रियल फूड, डिब्बाबंद फूड, रिफाइंड फूड आदि के क्रोनिक रोगों से गहरे संबंध हैं। ये खाद्य सामग्री लोगों को बीमार बना रहे हैं, दवा–इंजेक्शन बीमारी ठीक नहीं करते, बल्कि रोगों को ठीक करने की ताकत खुद शरीर में है और प्लांट फूड में है। दुनिया के स्वास्थय की चिंता का दावा करने वाले विश्व स्वास्थय संगठन ने कभी भी विश्व के देशों को एनिमल फूड (डेयरी उत्पाद समेत), रिफाइनरी फूड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल फूड, जंक फूड, जहरीले कोल्ड ड्रिंक्स के सेहत पर पडने वाले कुप्रभावों के प्रति सचेत नहीं किया, जबकि कोरोना को महामारी घोषित करने में अत्योंत शीघ्रता दिखाई। डब्यू.एच.ओ ने बैन हो चुकी कई दवाओं के इस्तेमाल व उनके खतरों को लेकर भी विकासशील देशों को कभी नहीं रोका। वह फार्मा लॉबी व फास्ट फूड इंडस्ट्री के सामने घुटने टेकता रहा है। चाइना स्टडी के निष्कार्ष के मुताबिक मानव शरीर के लिए केवल प्रकृति प्रदत्त प्लांट खाद्य सामग्री ही उपयोगी है, किसी भी पके हुए भोजन में शरीर की हीलिंग की क्षमता नहीं होती, इंडस्ट्रियल व रिफाइंड फूड में तो बिल्कुल नहीं। उससे ऊर्जा मिल सकती है, पर हीलिंग नहीं हो सकती। कच्चा खाने योग्य फल, सब्जियां व कंद–मूल, स्टीम किए हुए अनाज व सब्जियां, फल–सब्जियों के रस आदि में ही शरीर की हीलिंग की ताकत है, इन्हीं में रोग ठीक करने की क्षमता है। यही बात भारत के आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग आदि में प्राचीन काल से वर्णित है। फिर भी भारत सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल कोरोना के खौफ को खत्म करने के लिए नहीं कर रही है। आखिर क्यों? आज भारत के पास अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धत्तियों की ताकत से विश्व को अवगत कराने का भरपूर मौका है। जैसे भारत ने विश्व से योग का लोहा मनवाया, ठीक वैसे ही कोरोना को रोकने में आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्साओं की क्षमता से विश्व को परिचित करवा सकता है। इससे भारतीय चिकित्सा, पद्धत्तियों का वैश्विक बाजार भी बढता।

प्राकृतिक चिकित्सा के मुताबिक मनुष्य अगर प्रतिदिन अपने खान–पान में 80 फीसदी कच्चा–स्टीम तथा केवल 20 फीसदी पके हुए खाद्य सामग्री शामिल करे तो वह जीवन पर्यंत बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार पड़ेगा भी तो जल्द ही ठीक हो जाएगा। उन्हें किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। इस खान–पान से पीएच 7.5 पर संतुलित रहता है। दरअसल, शरीर के अंदर एंजियोजेनेसिस सिस्टम है जो हीलिंग मैकेनिज्म है। इस खोज के लिए चार बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। चाइना स्टडी के मुताबिक कोरोना जैसे वायरस तीन से सात दिन में ठीक हो सकते हैं। बस मरीज को आप लिक्विड डाइट पर रखें, स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में रखें, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा दें। एक दिन में 6 से 7 ग्लास सिट्रिक जूस जैसे मौसमी, संतरा, अनानास आदि के 6 से 7 ग्लास नारियल पानी दें, दूसरे दिन 3 ग्लास खीरा व टमाटर का जूस भी एड कर दें व तीसरे दिन भी दूसरे दिन वाले डाइट अपनाएं तो कोरोना समेत कोई भी वायरस का संक्रमण ठीक हो जाएगा। लेकिन चीन अपनी इस स्टडी के ज्ञान का इस्तेमान नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें बाजार नहीं है। आखिर चीन किसका हित साध रहा है?

आज भारत सरकार को अपने सभी आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट चिकित्सक का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि कोरोना के संदिग्धों को इनकी देखरेख में रखा जाये तो न किसी की जान जाएगी, न पैनिक क्रिएट होगा और न ही अर्थव्यावस्था का नुकसान होगा। बल्कि भारत अपने आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट चिकित्सकों की मदद से विश्व को राह दिखा सकता है। वह दुनिया को कोरोना मुक्त कर अपने लिए बाजार तैयार कर सकता है। हमें अपने ज्ञान पर भरोसा होना चाहिए और उसका व्या पारिक इस्तेहमाल करना आना चाहिए। ब्रिटिश जर्नल ऑफ मेडिसिन 2016 में ही एंड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन की घोषणा कर चुकी है। वैश्विक मेडिसिन शोध संस्था कोक्रेन व मेछिकल जर्नल लांसेट की अनेक रिपोर्ट में पुष्ट हो चुका है की 85 फीसदी लाइफ स्टासइल जनित बीमारियां खान–पान में सुधार लाकर, योग अपना कर ठीक हो सकती हैं। केवल 15 फीसदी रोगों, सर्जरी, ट्रामा आदि के लिए मॉडर्न मेडिकल सिस्टम बेहद उपयोगी है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वह एलोपैथी पर अपनी निर्भरता कम करे और आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा् को बढावा देकर न केवल अपने स्वनस्थ्मय के बजट को कम कर सकता है, बलकिर कृषि क्षेत्र में नई क्रांति कर सकता है। भारत को पश्चिमी अंग्रेजी चिकित्सा की गुलामी से मुक्त होने की दिशा में आगे बढना चाहिए।

टोक्यो ओलंपिक के बॉक्सिंग रिंग में जाट प्रतिभाओं पर रहेगी नजर

– धर्मेंद्र सिंह, रोहतक

ओलंपिक के लिए चयनित होने वाले बॉक्सिंग के नौ गबरूओं में तीन युवा जाट समाज से हैं। रोहतक के मायना गांव के अमित पंघाल, भिवानी के निमडीवाली गांव की पूजा बोहरा और पंजाब की सिमरनजीत बाठ पर भारत की उम्मीदें टिकी हैं। आइए जानते हैं इन तीनों के संघर्ष के बारे में ताकि हमारे युवाओं को भी प्रेरणा मिले।

अमित पंघालः कमजोर बना मजबूत

रोहतक के मायना गांव के रहने वाले वर्ल्ड नंबर वन बॉक्सर अमित पंघाल को ओलंपिक का टिकट मिला है। अपने पहले ओलंपिक में जा रहे पंघाल ने 52 किलोग्राम के क्वॉर्टर–फाइनल में फिलीपींस के कार्लो पालम को 4–1 से हराया। हालांकि इसके बाद हुए सेमी–फाइनल में वह अपना बेस्ट नहीं दे सके। उन्हें चाइना के हु जियनगुआन ने 3–2 से मात दी. छोटा टायसन के नाम से मशहूर पंघाल टोक्यो में भारत के लिए मेडल के सबसे बड़े दावेदार होंगे। अमित का जन्म हरियाणा में रोहतक जिले के मयाना गांव में हुआ। पिता विजेंदर सिंह पेशे से किसान हैं। घर में बचपन से ही उन्हें मुक्केबाजी का माहौल मिला। बड़े भाई अजय बॉक्सिंग किया करते थे। बताया जाता है कि बड़े भाई अजय ने ही अमित को बॉक्सिंग के लिए प्रेरित किया। बड़े भाई अजय सेना में हैं। अमित ने भी उनकी सलाह को मानते हुए जी–तोड़ मेहनत की और देश के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस सफलता का पहला श्रेय अमित अपने अग्रज को ही देते हैं। बकौल अमित, मेरे बड़े भाई अजय श्रेय के हकदार हैं। वह वास्तव में मेरे लिए सबसे अच्छे कोच हैं। वह हमेशा मेरे लिए रणनीति बनाते और मैं कोशिश करता हूं कि हर मुकाबले से पहले उनसे बात करूं। अजय खुद एक बेहतरीन मुक्केबाज थे, लेकिन परिवार दोनों भाईयों में से किसी एक ही ट्रेनिंग का खर्च वहन कर सकता था, तब वह अजय ही थे, जिन्होंने सामने आकर अपने छोटे भाई अमित को प्रशिक्षण दिलाने पर जोर दिया। अमित पंघाल की सबसे बड़ी उपलब्धि 2017 में आई, जब उन्होंने राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक हासिल किया, लेकिन प्रसिद्धि मिलनी अभी बाकी थी। 2017 में एशियन चैंपियनशिप का कांस्य पदक जीतते ही वह मीडिया की सुर्खियां बन चुके थे। उस एशियाई चैंपियनशिप के पदक ने उन्हें विश्व चैंपियनशिप में क्वालीफाई करवा दिया, जहां उन्हें हसनबॉय दुश्मातोव ने

क्वार्टरफाइनल में हराया था। उस हार ने पंघाल को और मजबूती से वापसी करने के लिए तैयार किया। अब मौका था 2018 राष्ट्रमंडल खेल, जहां अमित ने रजत पदक जीता। उसी साल हुए एशियाई खेलों में उन्होंने विश्व चैंपियनशिप की हार का बदला ले लिया। 49 किलोग्राम भारवर्ग में रियो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उजबेकिस्तान के दुश्मातोव को धुनते हुए भारत के लिए 14वां गोल्ड हासिल किया। भारतीय सेना में नाएब सूबेदार के पद पर तैनात अमित पंघाल ओलंपिक 2020 में भारत के मेडल की बड़ी आस बनकर उभरे हैं। भारतीय मुक्केबाजी में पंघाल के ऊपर चढ़ने का ग्राफ शानदार रहा है जिसकी शुरूआत 2017 एशियाई चौम्पियनशिप में 49 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक से हुई थी। वह इसी साल विश्व चौम्पियनशिप में पदार्पण करते हुए क्वार्टरफाइनल तक पहुंचे थे और फिर उन्होंने बुल्गारिया में प्रतिष्ठित स्ट्रांदजा मेमोरियल में लगातार स्वर्ण पदक हासिल किए और फिर वह 2018 में एशियाई चौम्पियन बने।

पंघाल इकलौते भारतीय मुक्केबाज है जिसने यूरोप के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित प्रतियोगिता स्ट्रांदजा मेमोरियल में लगातार दो बार स्वर्ण पदक हासिल किया। इस साल उन्होंने एशियाई चौम्पियनशिप का स्वर्ण अपने नाम कर किया और फिर 49 किग्रा के ओलंपिक कार्यक्रम से हटने के बाद 52 किग्रा में खेलने का फैसला किया।

बॉक्सर पूजा बोहराः छोरियां के छोरों से कम हैं

भारत के लिए सबसे पहला ओलंपिक टिकट हासिल करने वाली बॉक्सर रहीं पूजा रानी। पूजा ने 75 किलोग्राम के क्वॉर्टर–फाइनल में थाईलैंड की पोर्ननिपा चुती को हराकर ओलंपिक टिकट हासिल किया। पूजा को पहले राउंड में बाई मिली थी। पूजा सेमी–फाइनल में चीन की लि किन के हाथों 5–0 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुल दो मैच खेले, जिनमें से एक में जीत और एक में उन्हें हार मिली। भिवानी की पूजा बोहरा एक बेहद साधारण किसान परिवार में जन्मी बेटी है लेकिन उसके मुक्कों की गूंज आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। हरियाणवी बॉक्सर पूजा रानी को एशियाई चैंपियनशिप में बिना लड़े सेमीफाइनल में प्रवेश दिया गया था तो सोशल मीडिया पर एक तबके ने चुटकी ली कि यहां तो बिना लड़े पदक पक्का हो गया। महिला बॉक्सिंग टीम के कोच मुहम्मद अली कमर को अहसास था कि पूजा सेमीफाइनल में हारीं तो भी उन्हें कांस्य पदक मिल जाएगा, लेकिन उन्हें ऐसा पदक नहीं चाहिए था। अली ने खुलासा किया कि वह पूजा के पास गए और कहा कि उन्हें स्वर्ण पदक की लड़ाई लडनी है। पूजा को उस वक्त लगा कि कोच मजाक कर रहे हैं। वह खुद और उनके साथ खड़ीं दूसरी बॉक्सर यह सुनकर हंस पड़े। अली ने उस वक्त पूजा को डांटा और कहा कि वह गंभीर हैं उन्हें सेमीफाइनल जीतना होगा। अली ही नहीं इटालियन कोच राफेल बरगामास्को ने पूजा का डर हवा करने के लिए उन्हें अपने देश के एक ओलंपिक मेडलिस्ट की कहानी सुनाई। जिसे खुद नहीं मालूम था कि वह क्या कर सकता है। यही कहानी पूजा के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने 10 साल के कैरियर में जिस बुलंदी को नहीं छुआ उसे एशियाई चैंपियन बनकर हासिल कर लिया। अली, राफेल ने खुलासा किया कि फाइनल में चीनी वर्ल्ड चैंपियन लीना के खिलाफ बाउट से पहले उन्हें सिडनी ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता सुपर हैवीवेट बॉक्सर पाउलो विदोज के बारे में बताया। विदोज बेहद ताकतवर थे, लेकिन उन्हें इसका अहसास नहीं था। क्यूबा के रूबलकाबा के खिलाफ उनका मुकाबला था जिसमें रूबलकाबा की अच्छी शुरूआत रही, इस दौरान विदोज ने उन पर जोरदार पंच जड़ दिया। राउंड खत्म होने के बाद विदोज से कहा गया कि उनमें पंच जडने की क्षमता है बस अपने पर विश्वास करना होगा। विदोज ने अपनी क्षमता को पहचाना और रूबलकाबा को बुरी तरह हराया। पूजा ने भी माना कि कोच का यह तरीका उनके काम आया।

सिमरनजीत कौर बाठः पंजाब की शेरनी

सिमरनजीत कौर ने भारत का आठवां ओलंपिक टिकट जीता। सिमरनजीत ने 60 ज्ञह के क्वॉर्टर–फाइनल में मंगोलिया की मोन्खोर नामुन को 5–0 से हराया। अपना पहला ओलंपिक खेलने जा रही सिमरन ने सेमी–फाइनल में चाइनीज ताइपे की वु शिन यि को 4–1 से हराया। फाइनल में उन्हें कोरिया की ओ येन्जी से भिड़ना होगा। बैंकॉक में हुए एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत चुकीं भारत की स्टार मुक्केबाज सिमरनजीत कौर बाठ ने अपनी अबतक की सफलता और मेडल जीतने का श्रेय अपनी मां राजपाल कौर को देती हैं। सिमरनजीत ने कहा है कि वह मां के सपने को पूरा करने के लिए आगे भी मेडल जीतना जारी रखेंगी। सिमरनजीत को बैंकॉक में आयोजित हुए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में 64 किग्रा भारवर्ग में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन चीन की डौ डेन से हारकर सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा लेकिन अब ओलंपिक में खेलेगी।

सिमरनजीत ने कहा, मैंने 2010 में मुक्केबाजी शुरू की थी. उसके बाद से यहां तक का सफर काफी अच्छा रहा है। यहां तक पहुंचने के लिए मेरी मां ने मेरा काफी सपोर्ट किया है7 उन्होंने शुरू से ही मेरी काफी मदद की है। मैं कहीं भी खेलती हूं, वह मुझे सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाती हैं। पंजाब के पटियाला जिले की रहने वाली सिमरनजीत ने कहा, शुरू में मेरे पापा मुझे मुक्केबाजी में नहीं भेजना चाहते थे. लेकिन मेरी मां ने उनसे काफी लड़–झगड़कर मुझे इस खेल में भेजा और फिर जब मैंने इसमें मेडल जीतना शुरू कर दिया तो मेरे पापा

भी मेरा सपोर्ट करने लगे।

सिमरनजीत 2010 से ही मुक्केबाजी में भाग लेती आ रही हैं। उन्होंने 2018 वर्ल्ड चौम्पियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने कहा, जब मैं सीनियर कैम्प में आई थी तो इसमें ज्यादातर हरियाणा की मुक्केबाज थीं। कैम्प के दौरान मैंने अपने सीनियरों से काफी पंच भी खाए थे। तभी मैंने सोच लिया था, इनकी पंच से बचने और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना ही होगा और फिर इसी सोच के साथ आगे बढ़ती गई।

जाटों के बच्चों को जरूरत है दूसरों के अनुभव से सीखने की

– पूर्व कमान्डेंट हवा सिंह सांगवान

सन 1986 की बात है, सरदार सिमरनजीत सिंह मान, आईपीएस, डीआईजी, आईटीबी देशद्रोह के मामले में भागलपुर (बिहार) सेंट्रल जेल में बंद थे और मेरी कंपनी वहां सुरक्षा के लिए तैनात थी। जेल के साथ ही वहां एक छोटी हवाई पट्टी थी, जिसके कोने पर एक मकान था, जिसमें मैं रहता था। ये हवाई पट्टी हमारे जवानों को पीटी के लिए काम भी आती थी क्योंकि यह हवाई पट्टी लोहे की चादरों से बनी थी, जिसमें कभी–कभार कोई छोटा हवाई जहाज ही आ पाता था। पटना में पेशी के लिए मान साहब को छोटे हवाई जहाज से ही ले जाना पड़ता था। मैं इसी हवाई पट्टी पर सुबह–शाम घूमता था। एक दिन, प्रातः घूमते समय एक लडका मुझे मिलने आया और उसने अपना नाम रोमी बतलाया। रोमी ने भागलपुर यूनिवर्सिटी से प्रथम श्रेणी में एमएससी की थी और दिल्ली में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। मई–जून में वह छुट्टी पर आया हुआ था। लडका बड़ा सभ्य और सुशील था। उसकी बातचीत में मुझे दिलचस्पी लगती थी, इसीलिए वह अक्सर मेरे से मिलने आता रहता था। एक दिन उसने मुझे अपने घर चलने के लिए कहा। उसका घर भागलपुर से दो–तीन किलोमीटर की दूरी पर था। मैं एक दिन उसके साथ अपनी जीप से उसके घर चला गया, जहां तक पूरा कच्चा रास्ता था। उसने पहले से ही अपने घर में मेरे आने की सूचना दे रखी थी। जब मैं उसके घर पहुंचा, तो मैंने देखा कि वह एक घर जरूर था, लेकिन वह घर स्वयं ही कह रहा था कि वह अति गरीब परिवार का घर है। जब मैंने उनके घर में प्रवेश किया तो मेरे बैठने के लिए उन्होंने पड़ौस से एक कुर्सी और एक छोटी तिपाई लाकर रखी हुई थी, जिस पर मिठाई और बिस्कुट आदि काफी मात्रा में रखे हुए थे, जिसे देखकर मैंने कहा था कि यदि मुझे यह पता होता कि आप इतने पैसे खर्च करेंगे तो मैं आपके घर कभी नहीं आता। उसकी माता बुरके में चाय लेकर आई तो मैं यह भी समझ गया कि यह परिवार बहुत ही परंपरावादी मुस्लिम परिवार है। मुझे याद है, उनके घर की हालत देखकर मैं बहुत दुःखी हुआ था और एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम दिल्ली में इतनी आर्थिक हालात कमजोर होते हुए कैसे सिविल सर्विसिज की तैयारी करते हो, तो उसने मुझे बताया था कि हम एक कमरे में बिहार से छह–सात साथी रहते हैं। सुबह चावल और अरहर की दाल बना लेते हैं, जो बची हुई शाम को भी खा लेते हैं। दोपहर में घर से लाया हुआ सत्तू पानी में मिलाकर पी लेते हैं। इसके अतिरिक्त खाने–पीने का हमारा कोई खर्चा नहीं है। बिहार से हम ऐसे गरीबों के बहुत से बच्चे आपस में मिल–जुलकर अपना दिल्ली में गुजर–बसर करते हैं और साथ–साथ अपनी पढ़ाई की तैयारी भी करते हैं। कुछ ही दिन के बाद मेरी कंपनी को भागलपुर से पंजाब के मलेरकोटला जाने का आदेश हुआ, जिसके लिए हमने रेल का डिब्बा बुक करवा लिया। जब मैंने उस लडके से पूछा कि मैं जा रहा हूं, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तो उसने कहा, यदि आप मुझे सीआरपीएफ के डिब्बे में बिठाकर दिल्ली उतार देंगे, तो मैं आपका बहुत अहसानमंद रहूंगा क्योंकि मेरा रेल का किराया बच जाएगा। इस पर मैंने कहा कि किसी सिविलियन आदमी को इस प्रकार बिठाना हमारे लिए गैर–कानूनी है, लेकिन आप मेरी कोई पुरानी वर्दी पहन लेना। मैं मेरे अधीनस्थ अधिकारियों को बतला दूंगा ताकि वे तुम्हें जगह दे सकें क्योंकि मुझे उसी रेलगाड़ी द्वारा फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर करना था। खैर, उस लडके को हमने दिल्ली उतार दिया। सन 1989 में जब मैं तरनतारन में मेरी कंपनी के साथ तैनात था, तो मुझे उस लडके का पत्र मिला, जो मलेरकोटला के पते से घूम–फिरकर आया, जिसमें उसने लिखा था कि वह सिविल सर्विस के फाइनल एग्जाम में उतीर्ण हो गया है और आईएएस मेन में उसका चुनाव हो गया है। जहां तक मुझे याद है, वहां ड्यूटी में अधिक व्यस्त होने के कारण मैं उसके पत्र का कभी उत्तर नहीं दे पाया था। रोमी का पूरा नाम मुझे आज भी पता नहीं है।

जब सन् 1999–2001 में मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलतराम कॉलेज, जो नार्थ कैंपस में स्थित है, एक पीजी हाऊस में दूसरी लड़कियों के साथ रहती थी, तो मेरा कई बार वहां जाना हुआ और वहां मैं बेटी से मिलने के बाद दायें–बायें रहने वाले बिहारी छात्रों को ढूंढ़ा करता था और मैंने पाया कि रोमी तो कहता था कि हम छह सात लडके एक कमरे में रहते हैं, मैंने तो वहां दस–दस बारह–बारह लडकों को एक कमरे में रहते पाया, जिनके पास किसी प्रकार का कोई फालतू सामान नहीं होता था और रोमी के बताए हुए तरीके से ही वे रहते थे। मैंने तो पहले भी बिहार में रहते हुए और रोमी के मुंह से यह कहावत सुनी थी कि कायस्थ के घर में बच्चा पैदा होते ही उसके कान में फूंक मार दी जाती है कि बेटा, बड़ा होकर आईएएस, आईपीएस बनना। नहीं तो तेरा गुजारा नहीं होगा।

मैं सोचता था और आज भी बहुत गहनता से सोचता हूं कि

अहंकार से तप नष्ट हो जाता है और इधर–उधर कहने से दान निष्फल हो जाता है। –मनु

दिल्ली से हजारों किलोमीटर बिहार में गरीबी में रहने वाले बच्चे किस प्रकार से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैदियों से भी बदतर हालत में रहते हुए अपना उद्देश्य पूरा करने में लगे हुए हैं। धन्य है ऐसे छात्रों का जुनून। जबकि हमारे समाज के लोगों ने नई दिल्ली को तीन तरफ से घेर रखा है, यहां तक कि मुनीरका, मोहम्मदपुर और कटवारिया सराय आदि गांवों से तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का पैदल का रास्ता है, लेकिन फिर भी हमारे दिल्ली के गांव उच्च शिक्षा के मामले में केवल गांव के गांव हैं। दिल्ली के गांवों में जितने आईपीएस और आईएएस हैं, उनकी गणना न के बराबर है। इसी प्रकार दिल्ली के चारों तरफ जाटों के लगभग 400–500 किलोमीटर तक जाट फैले पड़े हैं, लेकिन हमने वहां की शिक्षा का कभी भी पूरा फायदा नहीं उठाया। हमारे बच्चे इतने गरीब नहीं हैं, जिस प्रकार बिहार के बच्चे। फिर कौन से कारण हैं कि हम सैंकड़ों सालों से उच्च शिक्षा से मुंह मोड़े हुए हैं और हमने दिल्ली की उच्च शिक्षण संस्थाओं का आज तक हमारी जनसंख्या के अनुसार कभी भी फायदा नहीं उठाया। यह हमारे समाज की बहुत बड़ी भूल है। अब समय आ गया है कि हम अपनी इस भूल का सुधार करें और उच्च शिक्षा के लिए अपना मुंह दिल्ली की तरफ मोड़ दें। यही मैं मेरे दिल की गहराईयों से सभी दोस्तों और भाई–बहनों से प्रार्थना करता हूं कि इस बात का पूरा–पूरा प्रचार करें और जो हमारे संपर्क में हैं, उनको इसके लिए पूरी तरह से उत्साहित करें और हमें भी बिहारी कायस्थों की तरह अपना बच्चा पैदा होते ही कान में यह मंत्र देना होगा कि बेटा–बेटी, तुम्हें अपने बड़ा होकर हमारे खानदान का शिक्षा या खेल या फिर दोनों में नाम रोशन करना है। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

इसी के साथ ही मैं एक दूसरे मसले पर भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं। लगता है जाट समाज लगातार सीखकर अपने आप में सुधर भी कर रहा है। बड़ी संतुष्टि है कि हमारी जाट कौम इन दिल्ली के दंगो से दूर रही। ऐसा नहीं है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जाट नहीं हैं। जाटों के गाँव तो बहुत ही कम हैं लेकिन उत्तर प्रदेश से आकर जाट बसे हैं जिनकी जनसंख्या इस क्षेत्र में लगभग दस प्रतिशत है। वहां मेरे कई दोस्त रहते हैं जिन्होंने बताया कि जाटों ने बिलकुल भी गर्मी नहीं खायी और उन्होंने इसके प्रति जाटों को जागरूक करने की भी कोशिश की। धार्मिक दंगों में जो जाट हिस्सा लेता है वह मूर्ख जाट कहलायेगा क्यूँ कि हम पहले कह चुके हैं कि इस देश के पारसी धर्म को छोड़कर सभी धर्मो में जाट हैं, इसीलिए धार्मिक दंगों में हिस्सा लेना अपनी कब्र खुद खोदने के बराबर है। इसके लिए हमे हमेशा अपने तथा दुसरे समाज को जागरूक रखना होगा क्यूँ कि जाट समाज में मूर्खो की कमी नहीं है, यह हम पहले देख चुके हैं। हमारे समाज के जवान बच्चों को ये लोग अपने छदम राष्ट्रवाद के घटिया लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लघु कालीन वस्तु की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। खुद कभी इन्होने गाय पाली नहीं और हमे पुरे राष्ट्र की गायों का पाली बना कर खुद सत्ता की मलाई खा रहे हैं। इसलिए आज के नाजुक समय में मेरी जाट समाज के युवाओं से अपील है कि इनके गहरे षड्यंत्र में न आये और धार्मिक दंगो में इनके हाथों की कटपुतली न बने और अभी आने वाले समय में कावड़ जैसे गोरखधंधों से दूर रहें।

जीवन यज्ञ की आहुति

बाईस हजार साल पहले एक ऋषि हुए उद्दालक। उषस्त पाक्रायण भी उस युग में एक ऋषि थे। दोनों के पास अलग–अलग तरह के ज्ञान–विज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य आते थे। गुरू लोगों का शिक्षा देने का ढंग भी अनोखा होता था। उद्दालक ने उषस्त चाक्रायण को ध्यान में रखकर अपने एक शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें एक वस्तु दे रहा हूं। यह लेकर जाना और उषस्त चाक्रायण ऋषि को देकर आना।

उद्दालक ऋषि ने एक द्राक्षा– किशमिश उठाई और अपने प्यारे शिष्य को देकर कहा कि जाओ इसे उषस्त चाक्रायण को देना और कहना कि पहले अपने हजारों शिष्यों को बांटकर फिर स्वयं भोग लागाओ। शिष्य उषस्त चाक्रयण ऋषि के पास पहुंच गया और बोला कि हमारे गुरूदेव ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, भेट भेजी है। लेकिन एक शर्त है कि पहले जो आपके हजारो शिष्य बैठे है उनको बांटकर फिर आप ग्रहण करना। वहां जितने शिष्य बैठे थे सबको क्रोध आ गया कि हमारे गुरूदेव का अपमान किया जा रहा है। एक छोटी–सी किशमिश को हम सब में बांटा जा सकता है।

उषस्त चाक्रायण ऋषि ने एक शिष्य को बुलाकर कहां–वहां जो प्रसाद तैयार हो रहा है, ठंडाई तैयार की जा रही है उसमे इस किसामिश को डाल देना। ओखल में किशमिश को घोट दिया जाए और फिर जो ठंडाई तैयार हो वह सबको बांटना और जो प्रसाद बचे वह हमारे लिए भी लेकर आना। शिष्य लोगों ने गहरी सांस ली और बोले– वाह!वाह! हमारे गुरू महान है।

फिर उषस्त चाक्रयण ऋषि ने हवन में प्रयोग की जाने वाली सामाग्री से तिल उठाया और कहां कि अपने गुरूदेव के पास खाली नहीं जाना। अपने गुरूदेव को यह तिल देना और कहना कि खुद भी खाए और सारे संसार को भी भोग लगाए, प्राणिमात्र को मिलना चाहिए। शिष्य हंसे और खुश हुए कि हमारे गुरूदेव ने उधर कहकर गुरूदेव को हिलाने के लिए रास्ता ढूढ लिया है। इतनी–सी चीज को सारे संसार के खिलाना है, पशु जगत को भी खिलाना है, पक्षी जगत, कीट, पतंगों, चीटियों और कीड़े मकोड़ों को देना है ओर खुद खाना है।

गुरू उद्दालक का शिष्य उषस्त चाक्रयण ऋषि के दिए

हम आजाद तभी पाते हैं, जब हम अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य चुका देते हैं। –रवीन्द्रनाथ टैगोर

हुए प्रसाद को लेकर सोचता है कि कहीं गुरू का कोप मेरे सिर पर न गिरे, फिर सोचा कि महापुरूषों की बातें महापुरूष ही जानते है। हमारे बुद्धी वहां तक नहीं पहुंच सकती। अतः जैसे आदेश हुआ है, लेकर चलते है।

उद्दालक के सम्मुख आकर वह बोला– महाराज एक समस्या है। यह तिल भेजा है और कहा है कि आप भी ग्रहण करना, लेकिन पहले ब्रह्मांड को खिलाना, जीवमात्र को खिलाना, प्राणिमात्र को खिलाना, मनुष्यमात्र को खिलानाए फिर आप इसे ग्रहण करना।

उद्दालक ऋषि ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि महापुरूष ने हमारे लिए, परमात्मा के लिए किए गए एकऔर महान कार्य एक अच्छा कार्य करने का निमंत्रण दिया है। सबसे कहा–यज्ञवेदी की ओर चलों, समस्त प्राणिमात्र को भोग लगाने का समय आ गया है।

यज्ञवेदी पर सब बैठे और उसी के साथ उन्होंने कहा, अग्निर्वै मुखं देवनाम्–समस्त देवताओं का मुख है अग्नि, अग्नि को अगर यह तिल समर्पित कर दिया जाए तो वह पूरी ईमानदारी से समस्त प्राणिमात्र को यह भेंट बांट देगी। सबके उनका भाग पहुंच जाएगा और बाद में हमारे पर भी पहुंच जाएगा।

हवन करते समय जब आहुति दी जाती है तो बीच वाली जो दो उंगलिया है उनका प्रयोग करना चाहिए। अनामिका नाम नहीं चाहिए। दूसरी माध्यम बड़ीउंगली थी, छोटी होकर यहां आई हैं झुकना, विनम्रता का प्रतीक और अंगूठाजो धर्म का प्रतीक हैं। न्यायलय में भी इसका विश्वास चलता है। आज भी अदालत में कहते हैं हस्ताक्षर करो और अंगूठा भी लगाओ। जमीन जायदाद का मामला है हस्ताक्षर अंगूठे में है तुम्हारी पहचान अलग से बनायी गयी है इसकी कोई नकल नहीं करेगा। इसीलिए लगाओं अंगूठा।

उन्होंने अनामिका मध्यमा और अंगूठे को मिलाया। तिल बीच में किया और उद्दालक ऋषि ने कहा, अग्रये स्वाहा इदम् अत्रये इदंनमम। यह अग्नि के लिए आहुति दी। अग्निदेव ग्रहण करो और फिर वह सारे संसार में बंट गया।

जिस समय उषास्त चाक्रयण ऋषि को पता लगा तो अपने शिष्यों को बैठाकर कहा–"तुम्हें थोड़ा मिला या ज्यादा इसकी परवाहन करना लेकिन जितना है उतने में बांट कर खाओ और परमात्मा को तुम्हारा कर्म यज्ञ बन जायेगा और परमात्मा को तुम्हारा कर्म स्वीकार होगा तुम्हें आनन्द देगा।" उद्दालक ऋषि ने भी कहा– उषस्त चाक्रायण ऋषि ने संदेश भेजा है– बांटना, लो और आगे दो, इसी में कल्याण है, इसी में आनन्द है।

वैवाहिक विज्ञापन

- SM4 for Jat Girl (DOB 21.11.94) 26/5'7" M.A. Political Science. Working in Government Service. Preferred Tri-city match. Avoid Gotras:Siwach, Malik, Sandhu. Cont.: 9569854549
- SM4 for Jat Girl (DOB 19.09.90) 30/5'3" B. Tech, MBA. Working in Moodies Company at Gurugram. Own house at Zirakpur. Father employed in State Bank of India. Avoid Gotras:Deswal, Kadyan. Cont.: 8427945192
- SM4 for Jat Girl 27/5'3" B.A., B.Ed., Studying in MA 2nd Year. Avoid Gotras:Khapra, Pawar, Khatri. Cont.: 9416918777
- SM4 for Jat Girl (DOB 18.07.94) 26/5'3" B.Tech. in CSE. Working as Assistant Manager in Public Relation Department, Haryana Civil Secretariat. Father in Government service. Mother housewife. Brother studying in CANADA. Avoid Gotras:Chahal, Lohan, Nain. Cont.: 9416961354
- SM4 for Jat Girl (DOB 27.01.94) 26/5'3" M.S.c Physics (Hons) from P.U. Chandigarh, B.Ed. and doing Phd in Physics from P.U. Avoid Gotras:Kadian, Phalswal, Dahiya. Cont.: 9888955626
- SM4 for Jat Girl (DOB 23.08.92) 28/5'2" B. Tech 2nd Position in Electronics & Communications. GATE cleared. Own house at Panchkula. Avoid Gotras:Rathee, Redhu, Balhara. Cont.: 9888146931
- SM4 for Jat Girl (DOB94) 26/5'3" B.E, UIET Chandigarh, M.Tech, PEC Chandigarh. Working in MNC. Avoid Gotras:Bamal, Jaglan, Kaliraman. Cont.: 9815109960
- SM4 for Jat Girl (DOB13.10.91) 29/5'5" BA, LLB (Hons.), LLM in Criminal Law. Diploma in Labour and Administrative Laws. Ph.D in International Law. Employed in Education Department Haryana Government. No dowry please. Own house at Panchkula. Avoid Gotras:Malik, Deswal. Cont.: 9417333298
- SM4 for Jat Boy (DOB13.12. 90) 29/5'10" B. Tech. CSE. Businessman, own manufacturing unit of printings & corporate gift items. Avoid Gotras: Punia, Saral, Ghanghas. Cont.: 7986433085, 9888685061
- SM4 for Jat Boy (DOB 24.01.93) 27/6 feet. B.Tech. Employed as Divisional Accountant in AG office, Shimla. Avoid Gotras: Chaudha Rana, Kharb, Rajyan. Cont.: 8527328879, 9992697777
- SM4 for Jat Boy (DOB 13.10.93) 27/6'2". MBBS. Employed as M.O. in BPSGMC, Khanpur-kalan. Preference Doctor/ HCMC/MBBS. Avoid Gotras: Narwal, Nehra, Chahal. Cont.: 9467567017, 9463391623
- SM4 for Jat Boy (DOB18.09.91) 29/5'9". B.Tech, MBA. Employed as Assistant in Central bank of India. Avoid Gotras: Kundu, Phogat, Ruhil. Cont.: 7696544003
- SM4 for Jat Boy (DOB10.07.93) 27/5'8". B.Tech. Working in a reputed Company at Mohali. Father employed in State Banking of India. Own house at Zirakpur. Avoid Gotras: Deswal, Kadyan. Cont.: 8427945192

जो अपना चित्र मुझमें लगा देते हैं, वे मेरी कृपा से संसार के सभी दुःखों से पार हो जाते हैं। –श्री कृष्ण

आर्थिक अनुदान की अपील

आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि जाट सभा चंडीगढ़ द्वारा 6 जून 2019 को गांव कोटली बाजालान-नोमैई कटरा जम्मु में जी टी रोड़ पर 10 कनाल भूमि की भू-स्वामी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बदरी नाथ निवासी गांव कोटली बाजालान, कटरा, जिला रियासी (जम्मु) के साथ लंबी अवधि के लिए लीज डीड पंजीकृत की गई है। इस भूमि का इंतकाल भी 6 जुलाई 2019 को जाट सभा चंडीगढ़ के नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार इस भूमि पर जाट सभा चंडीगढ़ का पूर्ण स्वामीत्व स्थापित हो चुका है। यात्री निवास की साईट की निशानदेही लेकर चार दीवारी बनाने का कार्य चल रहा है। बिल्डिंग के मजबूत ढ़ांचे/निर्माण के लिये साईट से मिट्टी परीक्षण करवा लिया गया है और बिल्डिंग के नक्शे/ड्राईंग पास करवाने के लिये सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिये गये है। इसके अलावा जम्मु प्रशासन व माता वैष्णों देवी साईन बोर्ड कटरा को यात्री निवास साईट पर जरूरी मूल भूत सार्वजनिक सेवायें - छोटे बस स्टैड़, टू-व्हीलर सैल्टर, सार्वजनिक शौचालय, वासरूम, पीने के पानी का स्टाल आदि के निर्माण हेतु पत्र लिखकर निवेदन किया गया है। यात्रि निवास भवन का निर्माण अक्तूबर 2019 में शुरू किया जा रहा है।

यात्री निवास भवन का शिलान्यास व दीन बंधु चौधरी छोटू राम की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण 10 फरवरी 2019 को बसंत पंचमी उत्सव एवं दीन बंधु चौधरी छोटूराम की 136वीं जयंती समारोह के दौरान महामहिम राज्यपाल, जम्मु काश्मीर माननीय श्री सत्यपाल मलिक द्वारा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीएमओ डा0 जितेंद्र सिंह व जाट सभा के अध्यक्ष एवं हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक डा0 एम एस मलिक, भा0पु0से0 (सेवा निवृत) की उपस्थिति में संपन्न किया गया।

यात्री निवास भवन एक लाख बीस हजार वर्ग फुट में बनाया जाएगा जिसमें फैमिली सुईट सहित 300 कमरे होगें। भवन परिसर में एक मल्टीपर्पज हाल, कांफ्रैंस हाल, डिस्पैंसरी, मैडीकल स्टोर, लाईब्रेरी, बच्चों की प्रतिभा विकास एवं विभिन्न व्यवसायिक व सुरक्षा संबंधी सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगीं। सुरक्षा सैनिकों, शहीद परिवारों व उनके आश्रितों के लिए मुफ त ठहरने तथा माता वैष्णों देवी के श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगीं।

आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस कल्याणकारी व पुनित सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा अनुसार शीघ्र अनुदान देने की कृपा करें ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके जोकि आज सभी के सहयोग से ही संम्भव हो सकेगा। यदि कोई दानी सज्जन यात्री निवास में कमरे के निर्माण हेतू 5 लाख रूपये या इससे अधिक की राशि दान देता है तो उसका नाम भवन परिसर में उचित स्थान पर अंकित किया जाएगा और उसे भवन में आजीवन मुफ्त ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जम्मु काश्मीर के भाई-बहन व दानवीर सज्जन इस संबंध में चौधरी छोटु राम सेवा सदन के अध्यक्ष श्री सर्बजीत सिंह जोहल (मो0नं0 9419181946), श्री भगवान सिंह उप प्रधान (मो0नं0 8082151151) व केयर टेकर श्री मनोज कुमार (मो0नं0 9086618135) पर संपर्क कर सकते हैं। यात्री निवास भवन के लिए अनुदान देने वाले सज्जनों का उचित विवरण रखा जाएगा और उनका नाम जाट सभा द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'जाट लहर' में भी प्रकाशित किया जाएगा। भवन निर्माण की अनुदान राशि चैक, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 'जाट सभा चंडीगढ़' के पक्ष में जाट भवन 2-बी, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ में भेजी जा सकती है अथवा आर टी जी एस की मार्फत सीधे जाट सभा के बचत खाता नंबर 50100023714552, आईएफएससी कोड- एचडीएफसी 0001324 में ट्रांसफर की जा सकती है।

अनुदान की राशि आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत आयकर से मुक्त है।

निवेदक : कार्यकारिणी जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला,
चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

सम्पादक मंडल

सरंक्षक एवं सम्पादक : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)
सह-सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान
साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक
प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो० : 9416282798
वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़

जाट भवन 2-बी, सैक्टर 27-ए, चण्डीगढ़
फोन : 0172-2654932 2641127
Email: jat_sabha@yahoo.com; Website: www.jatsabha.org

सर छोटूराम जाट भवन, सैक्टर-6, पंचकूला
फोन : 0172-2590870, Email: jatbhawan6pkl@gmail.com

चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

Postal Registration No. CHD/0107/2018-2020

RNI No. CHABIL/2000/3469

मुद्रक प्रकाशन एवं सरंक्षक सम्पादक डा. एम. एस. मलिक ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्ट्र्ज़, चंडीगढ़, फोन : 0172-2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2-बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27-ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया।